बिहार सरकार

बजट भाषण

2016-17

बजट भाषण

2016-17

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2015 के अन्तिम महीनों में मतदाताओं के अभूतपूर्व जनादेश से महागठबंधन की सरकार बनी, ^^U;k; d lkFk fodkl** का परचम लहराने का निर्णय लिया गया। फैसलों का एक दौर शुरु हुआ, 10 वर्षों के अनुभव और चुनाव में किये गये वादों के आधार पर अवाम के हालात बदलने के लिए सात निश्चयों की घोषणा की गयी–

- आर्थिक हल, युवाओं को बल,
- आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार
- हर घर बिजली
- हर घर नल का जल
- घर तक पक्की गली–नालियाँ
- शौचालय निर्माण, घर का सम्मान
- अवसर बढ़े, आगे पढ़ें

1- vkfFkd gy] ;qokvksa dk cy

- बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की जाएगी।
- 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ते की सुविधा दो वर्षों के लिए दी जाएगी।
- ''स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड'' के तहत बैंकों से जोड़कर सरकार 12 वीं कक्षा पास हर इच्छुक विद्यार्थी के लिए 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराएगी।

➢ राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराया जाएगा।

➢ युवाओं की उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट–अप कैपिटल हेतु 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund) गठित किया जाएगा जिसके माध्यम से ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो उद्योग लगाकर स्वरोजगार करना चाहते हैं। इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना करायी जाएगी।

➢ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाई–फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

2- *vkjf{kr jkt xkj efgykvksa dk vf/kdkj*

➢ महिला सशक्तीकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

3- *gj ?kj fct yh*

➢ बिजली के क्षेत्र में अगले दो वर्षों में बचे हुए सभी गांव और बसावटों का विद्युतीकरण पूर्ण कराया जाएगा। सरकार अपने संसाधनों की मदद से सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करायेगी। साथ ही बिजली की उपलब्धता से राज्य में हर घर तक निरंतर बिजली की आपूर्ति के सपने को साकार किया जाएगा।

4- *gj ?kj uy dk ty*

➢ बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले इसके लिए सभी घरों में पाईप जल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अगले पांच वर्षों में चापाकल और पेयजल के अन्य साधनों पर लोगों की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।

5- ?kj rd] iDdh xyh&ukfy;k

➢ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत, शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क–विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। सभी गाँव एवं शहरों में गली नाली का निर्माण कराया जाएगा।

6- 'kkpky; fuekZ.k] ?kj dk lEeku

➢ खुले शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।

7- volj c<+] vkx+ i<+

➢ जिला एवं अनुमण्डल में उच्च, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक जिला में जी०एन०एम० स्कूल, पैरा–मेडिकल इन्स्टीच्यूट, पॉलिटेकनीक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमण्डल में ए०एन०एम० स्कूल एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं राज्य में पांच और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।

इन्हें जमीन पर उतारने के लिए हमारी सरकार ने कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए ठोस तथा कारगर संस्थागत व्यवस्था का संकल्प लिया है ताकि जनता से किये गये वायदे हवा–हवाई होकर न रह जायें।

लोहिया जी कहा करते थे, जिन्दा कौमें वक्त का इन्तजार नहीं करती। अवाम के सब्र का पैमाना जब भर जायेगा तब जो क्रांति, अराजकता फैलेगी, उसे कोई सरकार नहीं रोक सकती। बजट और कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी कोशिश होगी– अवाम के सब्र का पैमाना न टूटे।

बजट सरकार के इरादों और जनता की इच्छाओं का दस्तावेज है। जरुरी कार्यक्रमों के लिए राशि मुहैय्या कराना, कार्यक्रम बनाना, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना और यह देखना कि इसका लाभ अन्तिम सीढ़ी के आदमी को जरुर मिले, यह हमारे नेता, सभी घटक तथा सरकार की जिम्मेवारी होगी।

महागठबंधन सरकार का यह पहला बजट है और चौदहवें वित्त आयोग की प्रस्तुति के बाद का भी पहला बजट है। हाल में संपन्न विधान सभा चुनाव में महागठबंधन को भारी जनादेश मिला है। राज्य के लोगों को बहुत अधिक आशा है और बजट को उन आशाओं के अनुरुप बनाने का प्रयत्न किया गया है।

बजट के विवरणों में जाने के पहले, मैं आपलोगों के सामने वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि पेश करना चाहता हूँ। हाल ही, जनवरी 2016 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वैश्विक आर्थिक अवलोकन में 2015–16 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3.1 प्रतिशत की वृद्वि दर होने की उम्मीद व्यक्त की गई है। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था में वृद्वि दर 1.9 प्रतिशत से भी कम रहेगी। इसके साथ ही, उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 4 प्रतिशत रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट संकेत देती है कि वैश्विक मंदी अब भी जारी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के विपरीत, 2015–16 में 7.6 प्रतिशत के अनुमान के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन इस विकास का अधिकांश हिस्सा तृतीयक (सेवा) क्षेत्र में केन्द्रित है। विकास दर कृषि के लिए ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी नीचे है। इसके अलावा, निर्यात और ऋणों की मांग में भी गिरावट का रुझान है।

बिहार ने पिछले दस वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। 2005–06 से 2014–15 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 10.5 प्रतिशत रही है। इस विकास दर के बावजूद, राज्य की प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत का मात्र 40 प्रतिशत है। अगर हम विकास की वर्तमान दर को अबाध रुप से भी बरकरार रखें, तब भी हमें विकसित राज्यों के स्तर तक पहुंचने में दो दशक से अधिक का समय लगेगा। विकास की गति बढ़ाने के लिए हमें प्रचुर संसाधनों की जरुरत है। राज्य में विकास एवं आर्थिक प्रगति में समरुपता लाने के दृष्टिकोण से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कई रुकावटों और केन्द्र सरकार की अनदेखी के बावजूद आगे बढ़ने का हमारा इरादा अटल है।

मैं आपकी जानकारी में यह देना चाहूँगा किः–

(क) हमलोगों ने अपने स्तर से काफी संसाधन जुटाएं हैं लेकिन योजनाओं की पूर्ति के लिए हम वित्त आयोग के अंतरणों पर काफी अधिक निर्भर हैं। चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत, संसाधनों के विभाज्य पूल को निस्संदेह बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन अन्य सारे अंतरण कम हो गए हैं। यह घोषणा कि चौदहवें वित्त आयोग ने तेरहवें वित्त आयोग की तुलना में बिहार को काफी अधिक संसाधन आवंटित किए हैं, बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है।

(ख) अब विभाज्य पूल के हिस्से में 10 प्रतिशत अंकों की वृद्वि करने के बाद राज्यों को उपलब्ध होने वाला कुल केंद्रीय पूल 42.60 लाख करोड़ रु० है। इसमें से बिहार को 2015 से 2020 तक के पांच वर्षों में 4.09 लाख करोड़ रु० प्राप्त होंगे। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्यों को होने वाले कुल कर हिस्सेदारी में तेरहवें वित्त आयोग से 2.73 गुनी वृद्वि दिखती है। लेकिन बिहार के लिए यह वृद्वि 2.59 गुनी ही दिखती है जो 2.73 गुनी वृद्वि से बहुत कम है। इस कारण 2015 से 2020 तक के पांच वर्षों में बिहार को 45,803 करोड़ रु० का भारी नुकसान होगा।

(ग) करों के विभाज्य पूल से बिहार का हिस्सा 10.92 प्रतिशत से गिरकर 9.67 प्रतिशत रह जाना महज कमी नहीं, 1 प्रतिशत अंक से भी अधिक की भारी कमी है। बिहार को इसलिए कम प्राप्ति हुई कि बिहार की ऐतिहासिक प्रतिकूलताओं को ग्रहण (Capture) करने वाले कारक आय संबंधी अन्तर को कम महत्व (Weightage) दिया गया। दूसरे, क्षेत्रफल को अधिक महत्व दिया गया और इससे भी बिहार जैसा घनी आबादी वाला राज्य दंडित हुआ और तीसरे, कर हिस्सेदारी निर्धारण में वन क्षेत्र को भी महत्व दिया गया लेकिन गंगा के मैदानी हिस्से में जहाँ बिहार है, वन क्षेत्र कम है। इसका दुष्परिणाम भी बिहार को भोगना पड़ा और अंत में, बिहार को उन वित्तीय समझदारी दिखाने के लिए भी दंडित किया गया है जिसे काफी कठोर उपायों को अपनाकर हासिल किया गया था। राजस्व घाटा वाले राज्यों को पुरस्कृत किया गया है। आवंटन का पैटर्न अन्यायपूर्ण ही नहीं है, समानीकरण के सिद्वांत की भी अवहेलना करने वाला है।

(घ) इसके अलावा, बिना कोई मूर्त विकल्प दिए योजना आयोग के भंग होने से बिहार को अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती होने और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय सम विकास योजना तथा वाम अतिवाद प्रभावित जिलों के लिए समेकित कार्य योजना के तहत धनराशि नहीं आवंटित करने से बिहार को काफी अधिक नुकसान होगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती ही नहीं कर दी गई है, बाकी बची केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश भी काफी बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश के रुप में बिहार को 4,508.63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा है।

(ङ) जहां हमें नियमित केंद्रीय अंतरणों की व्यवस्था से नुकसान हुआ है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1.25 लाख करोड़ रु० का पैकेज यथार्थ से अधिक मृगतृष्णा ही लगती है। बिहार जैसे ऐतिहासिक रुप से प्रतिकूलता–ग्रस्त राज्य के लिए मिलने वाले पैकेज को सिंचाई और कृषि की ओर लक्षित किया जाता, तो बिहार प्रामाणिक रुप से सक्षम हो सकता था। बिहार सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रु० बजट वाला 'कृषि रोड मैप' और 5,733 करोड़ रु० व्यय से हर पंचायत में उच्च विद्यालय के लिए योजना तैयार किया है। बिहार पैकेज में राज्य की महत्वपूर्ण जरुरतों का संज्ञान नहीं लिया गया है। बिहार को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने का एक और तरीका ऋण माफी है। 31 मार्च 2015 को संचित लोक ऋण 74,570.47 करोड़ रु० के हैं। वर्ष 2016–17 में लोक ऋण के लिए राज्य सरकार को 7,252.94 करोड़ रु० ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि बिहार को 'विशेष श्रेणी का दर्जा' स्वीकृत करना एक अन्य 'सक्षमकारी' रणनीति हो सकती है।

(च) राज्य के जिलों में करों में छूट देने से औद्योगीकरण का मकसद पूरा नहीं होगा। कोई भी राज्य सिर्फ सार्वजनिक निवेश की मदद से विकास में अग्रणी राज्य नहीं बन सकता है। पिछले एक दशक में बिहार ने सिर्फ अपने प्रयास से 10 प्रतिशत से अधिक की संचित वृद्वि दर हासिल कर ली है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से सूबे के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी जा सकती है। इससे निजी क्षेत्र के निवेश को भी नई उड़ान मिलेगी। अगर बड़े निवेशकों के निवेश नहीं भी आते हैं, तो इससे स्थानीय पूंजी को छलांग लगाने में काफी बल मिलेगा। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से पुनः अनुरोध करता हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये।

बिहार के लिए विकासमूलक रणनीति तैयार करते समय ध्यान में रखने की जरुरत है कि यह समुद्रतट रहित और घनी आबादी वाला राज्य है। ऐतिहासिक कारणों से राज्य गंभीर अधिसंरचनात्मक कमियों से भी पीड़ित रहा है। अगर किसी केंद्रीय पैकेज या मंत्रालय के प्रावधान के जरिए संसाधन उपलब्ध हों, तो राज्य सरकार इस चुनौती का सामना अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से कर सकेगी। मसलन पिछड़े जिलों की सड़क, बिजली, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों आदि भौतिक अधिसंरचना में सुधार के लिए परियोजनाओं को व्यापक बनाया जा सकता है। राज्य सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिए भी विकास कार्यक्रम शुरु करना चाहती है। इससे बुनकर व अन्य ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी संख्या में जीविका उपलब्ध कराया जा सकता है। विभिन्न जिलों में उत्पादन और विपणन सुविधाओं और औद्योगिक केंद्रों की स्थापना पर विशेष रुप से फोकस करना होगा। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की जीविका संबंधी स्थितियों में सुधार के लिए राज्य सरकार उन गांवों में बहु–क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र स्थापित करना चाहती है। ये केंद्र अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक केंद्र का भी काम करेंगे। बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर मौसमी मजदूर के रुप में देश के दूसरे राज्य में जाते हैं। इन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए राज्य सरकार स्लीपर क्लास का रेल भाड़ा भुगतान करके उनके प्रवास व्यय में हिस्सा बंटाना चाहेगी।

राज्य सरकार द्वारा सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सात निश्चय एवं अन्य संकल्पों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया है :–

(क) विकसित बिहार के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आधारभूत संरचना और आद्योगिक प्रोत्साहन के कार्यक्रम एवं अन्य संकल्पों के अनुश्रवण हेतु बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है।

(ख) इन निश्चयों, कार्यक्रमों एवं संकल्पों के मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था की जाएगी।

(ग) जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा।

(घ) प्रत्येक जिला पदाधिकारी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा करेंगे एवं उनके क्रियान्वयन हेतु वे समीक्षोपरान्त प्रभारी मंत्री–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में रखेंगे।

(ड.) मुख्य सचिव अपने स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/पुलिस महानिदेशक के साथ नियमित रुप से इन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे तथा संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे।

राज्य सरकार के सभी विभागों को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा प्रशासन के निम्न स्तर तक सभी कार्यालयों को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, सुदूर गाँवों में बसी आबादी को हम यह इतमीनान दिलाना चाहते हैं कि उनकी जरुरत का हमें एहसास है। महागठबंधन के सभी घटक एकजुट होकर इस दस्तावेज के वायदों को जमीन पर उतारेंगे।

हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष के सकारात्मक रवैये का पूरा लाभ सरकार को मिलेगा। अब मैं विभागवार वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों एवं कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर रहा हूँ–

कृषि विभाग

कृषि का विकास सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2006 से कृषि विकास के लिए गंभीर प्रयास किये गये। 2008 में पहली बार कृषि रोड मैप बनाया गया। वर्ष 2011 में पहली बार कृषि कैबिनेट का गठन हुआ, जिसमें 18 विभागों को सम्मिलित किया गया। वर्ष 2012–13 में 2012 से 2017 तक के लिए द्वितीय कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। कृषि शिक्षा एवं शोध की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किशनगंज में नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख

करने के लिए प्रत्येक मेधावी छात्र को 2,000 रु० प्रतिमाह स्टाईपेन्ड तथा 6,000 रु० प्रति वर्ष पुस्तक आदि खरीदने के लिए सहायता दी जा रही है।

कृषि रोड मैप के अधीन खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए श्री विधि से धान तथा गेहूँ की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु लघु तथा सीमांत किसानों एवं कृषि मजदूरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए आधुनिक यंत्रों खासकर पैडी ट्रांसप्लांटर तथा पैडी ड्रम सीडर को बढ़ावा दिये जाने गेहूँ की श्री विधि तथा जीरो–टिलेज विधि को प्रोत्साहित किये जाने की योजना है।

किसानों को गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर दलहन तथा तिलहन के उत्पादन तथा उत्पादकता में बढ़ोतरी हेतु वैज्ञानिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्यक्षण लगाये जायेंगे।

बिहार को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की योजना है । बिहार राज्य बीज निगम के बीज भंडारण क्षमता तथा प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जायेगा। किसानों को वर्मी कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरक के उत्पादन तथा उपयोग के लिए आर्थिक सहायता तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।

बागवानी विकास कार्यक्रम अंतर्गत आम, लीची सहित नये बाग की स्थापना तथा पुराने बागों के जीर्णोद्धार के लिए किसानों को सहायता दिये जाने तथा मधुमक्खी पालन, मशरुम उत्पादन तथा जैविक सब्जी की खेती को प्रोत्साहित किये जाने हेतु कृषकों के बीच टिशु कल्चर, केला की कुल 50 लाख जी0–9 प्रभेद के टिशु कल्चर पौधे अनुदानिक दर पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा 50 हजार मधुमक्खी बक्से किसानों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

दक्षिण बिहार के उप पठारी जिलों में जलछाजन विकास कार्यक्रम अंतर्गत चेक–डैम आदि का निर्माण किया जायेगा।

जल संरक्षण योजना अन्तर्गत 202 गाद अवरोधक बाँध (Silt detention Dam) एवं 168 पक्का चेक डैम का निर्माण किया गया है।

राज्य के 14 जिलों यथा बाँका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद एवं अरवल में विभिन्न योजनान्तर्गत 2015–16 में 2,150 तालाबों का निर्माण किया गया है, जिससे 4,350 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ।

459 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। अब तक कुल 16,700 एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलछाजन विकास) अंतर्गत जलछाजन परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से भू–गर्भ जल स्तर उपर लाने का लक्ष्य है।

कृषि कार्यों में इच्छुक लोगों को तकनीकी परामर्श, गुणवत्ता युक्त बीज, खाद, कीटनाशक दवायें, मुहैय्या कराने को विभाग प्राथमिकता देगा।

d`f"k foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 2]718-13 djksM+ #Ik;s ¼nks gtkj lkr lkS vBkjg djksM+ rsjg yk[k #i;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gw¡ ftlesa ;kstuk en esa 2]179-81 djksM+ #i;s ¼nks gtkj ,d lkS mUukLlh djksM+ ,dklh yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 538-32 djksM+ #i;s ¼ikap lkS vM+rhl djksM+ crhl yk[k #Ik;s½ 'kkfey gSA

पथ निर्माण विभाग

वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिसम्बर माह तक 2,232 कि०मी० राष्ट्रीय उच्च पथों का राज्य निधि से, 2,104 कि०मी० राज्य उच्च पथों का राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत, 906 कि०मी० राज्य उच्च पथों का ए०डी०बी० सम्पोषित योजनान्तर्गत एवं राज्य योजना से 251 कि०मी० सड़क उन्नयन का कार्य पूर्ण किया गया है। 12,554 कि०मी० वृहद जिला पथों का चौड़ीकरण/उन्नयन/नवीकरण कार्य भी पूर्ण किया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 6,555 करोड़ रुपये की कुल लागत की 1,508 वृहद्/लघु पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

मुख्यमंत्री सेतु योजना अन्तर्गत 2,842.43 करोड़ रुपये लागत की 4,774 योजनाएँ पूर्ण हुई है। 7,683 कि०मी० वृहद् जिलापथों एवं राज्य उच्चपथों तथा उन पर अवस्थित विभिन्न लघु पुलों/पुलियों

हेतु अनुबंधित 2,394.98 करोड़ रुपये की लागत पर पथ संधारण कार्य किया जा रहा है। संवेदकों के निबंधन का सरलीकरण किया गया है। 1,584.25 करोड़ रुपये लागत पर स्वीकृत 34 अदद आर०ओ०बी० में से 22 आर०ओ०बी० का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, शेष 12 अदद आर०ओ०बी० का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। भागलपुर जिला के सुलतानगंज एवं खगड़िया जिला के अगुवानी घाट के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर एवं रोहतास जिलान्तर्गत नासरीगंज के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण गोपालगंज जिलान्तर्गत गंडक नदी के बंगरा घाट पर एवं पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया–केसरिया–सत्तरघाट पथ गंडक नदी पर पुल निर्माण, सहरसा जिलान्तर्गत कोसी नदी पर बलुआहा घाट एवं गंडौल के बीच तथा बिरौल के पास हाथी कोठी, दरभंगा तक पुल सह पथ निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है। पटना शहर स्थित मीठापुर आर०ओ०बी० से स्टेशन होते हुए चिरैयाटाँड़ ऊपरी पुल तथा एक्जिबिशन रोड आगे का गाँधी मैदान तक विस्तारीकरण कार्य, बेली रोड पर ललित भवन से विद्युत भवन के बीच फ्लाई–ओवर, मीठापुर ऊपरी पुल से भिखारी ठाकुर, यारपुर ऊपरी पुल भाया आर० ब्लॉक जंक्शन के बीच फ्लाई ओभर तथा पटना शहर के मीठापुर ऊपरी पुल से चिरैयाटाँड फ्लाई–ओवर का निर्माण कार्य प्रगति में है।

गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज) 3,160 करोड़ रुपये की लागत पर एवं पटना एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कोरिडोर 1,231 करोड़ रुपये की लागत पर निर्मित किया जा रहा है। भारत–नेपाल सीमा के समानान्तर बिहार राज्य अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–28 बी के ग्राम गोबरहिया मदनपुर के निकट से पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया होते हुए किशनगंज जिला के पश्चिम बंगाल राज्य सीमा पर गलगलिया तक कुल 552.29 कि०मी० पथांश का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बख्तियारपुर–ताजपुर–समस्तीपुर के बीच 1,602.74 करोड़ रुपये के लागत व्यय पर गंगा नदी पर पुल एवं पहुँच पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

गया–हिसुआ–राजगीर–नालन्दा–बिहारशरीफ खण्ड (एन०एच०–82) का कार्य प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार द्वारा ए०डी०बी० सम्पोषित 6–लेन गंगा ब्रीज, कच्ची दरगाह–बिदुपुर, कुल लागत 4,988.40 करोड़ रुपये की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य उच्च पथ, वृहद् जिला पथ एवं नव अधिग्रहित 1,090.38 कि०मी० पथों के उन्नयन हेतु 2,282.45 करोड़ रुपये एवं 20 अदद पुल–पुलियों के निर्माण हेतु 469.23 करोड़ रुपये का कार्य योजना स्वीकृत की गयी है।

iFk fuek.k foHkkx dk o"k 2016&17 es 6]599-06 djkM #i;s ¼N% gtkj ikp lkS fuU;kuos djkM N% yk[k #Ik;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gS] ftlesa ;kstuk en esa 5]651-41 djkM #i;s ¼ikp gtkj N% lkS ,D;kou djkM ,drkyhl yk[k #Ik;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 947-65 djkM #i;s ¼ukS lkS lSrkyhl djkM iSlB yk[k #Ik;s½ 'kkfey gSA

ग्रामीण कार्य विभाग

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए इन क्षेत्रों में उन्नत कोटि की बारहमासी सड़कों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। 250 या उससे अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये पथों के निर्माण के साथ–साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु को राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है।

इस वित्तीय वर्ष में नवम्बर 2015 तक 692.30 करोड़ रुपये के व्यय पर 1,372 कि०मी० सड़कों का कालीकरण कराया गया है। 969.38 करोड़ रुपये के व्यय पर 2,196.66 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। 1100 करोड़ रुपये की लागत पर 50 पथों, कुल लम्बाई 181 कि०मी० के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। नाबार्ड संपोषित 40 अद्द पुलों का निर्माण 259.65 करोड़ रुपये के व्यय पर पूर्ण किया गया है। शेष पुलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत राज्य के 27 गैर Integrated Action Plan (IAP) जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों/बसावटों को आगामी 5 वर्षो में बारहमासी एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। 31,183 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण

आगामी 5 वर्षो में किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 5,780 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण लक्षित है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 27 गैर IAP जिलों में 500 या उससे अधिक एवं 11 IAP जिलों में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े गाँवों और बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 7,000 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य इस योजनान्तर्गत है।

निर्मित सड़कों का अनुरक्षण कार्य बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति के तहत किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय का आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा समयबद्धता एवं गुणवता सुनिश्चित करने हेतु अभियन्ताओं तथा संवेदकों को तकनीकी प्रशिक्षण भी विभाग द्वारा दिया जा रहा है। इससे राज्य में निर्मित सड़कों की गुणवता बढ़ेगी।

xkeh.k dk;l foHkkx dk o"kZ 2016&17 e 7]150-50 djkM+ #i;s ¼lkRk gtkj ,d lk ipkl djkM+ ipkl yk[k #Ik;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk g ftlea ;ktuk en e 5]954-31 djkM+ #i;s ¼ikp gtkj uk lk pkou djkM+ ,Drhl yk[k #Ik;s½ ,o xj ;ktuk en e 1]196-19 djkM+ #i;s ¼,d gtkj ,d lk fN;kUos djkM+ mUUkhl yk[k #Ik;s½ 'kkfey gA

<u>जल संसाधन विभाग</u>

मार्च 2015 तक सूबे में 29.25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। विष्णु वीयर योजना औरंगाबाद–2,420 हेक्टेयर, जगन्नाथ वीयर योजना जहानाबाद 2,140 हेक्टेयर, पंतीत वीयर योजना अरवल 8,097 हेक्टेयर, सोलहन्डा वीयर योजना जहानाबाद 900 हेक्टेयर, लवायचरामपुर बराज योजना पटना 7,000 हेक्टेयर, कर्मनाशा पम्प नहर योजना भभुआ 64 हेक्टेयर, उदेरास्थान बराज योजना जहानाबाद 2,700 हेक्टेयर, मोर वीयर योजना जहानाबाद 176 हेक्टेयर, दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर 3,000 हेक्टेयर कुल 26,497 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जा रही है।

वर्ष 2015–16 में बिहार को सुखाड़ का सामना करना पड़ा। इस अवधि में भी नहरों द्वारा 17.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी। 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई नाली का निर्माण किया गया है। दुर्गावती कैड योजनान्तर्गत 1,733 हेक्टेयर में पक्का नाला का निर्माण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा 2,34,525 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने तथा 1,20,180 हेक्टेयर ह्रासित क्षमता पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य है। कृषि प्रक्षेत्र को सूखे एवं बाढ़ से बचाने हेतु विभिन्न नदियों को जोड़ने की योजना है। बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक नहर, सकरी नदी पर बकसोती बराज का निर्माण एवं नवादा जिले में नाटा नदी पर अवस्थित वीयर के स्थान पर बराज का निर्माण, बकसोती बराज स्थल से सकरी नदी एवं नाटा नदी को लिंक करने की योजना तथा कोशी–मेची लिंक (भारत–भूभाग) योजना का विस्तृत प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को भेजा गया है। इससे अररिया, सहरसा, किशनगंज एवं पूर्णियाँ जिले के 2,11,400 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

चालू वर्ष में 285 अदद कटाव निरोधक कार्य पूर्ण कर बिहार के सभी तटबंधों को सुरक्षित रखा गया। आगामी वर्ष 2016–17 में 230 अदद कटाव निरोधक कार्य पूर्ण कर तटबंधो को सुरक्षित रखने की योजना है।

RMAWBA (River Management Activities and Work related to Border Area) के तहत कोशी नदी के नेपाल भूभाग में 45 अदद योजनाएँ पूर्ण हुई हैं। वर्ष 2016–17 में 29 अदद योजना पूर्ण करने का लक्ष्य है। FMP के तहत 80 कि०मी० नये बॉध का निर्माण किया गया है तथा अब तक 372 लघु बाँध का कार्य किया गया है। वर्ष 2016–17 में 80 कि०मी० नये बॉध निर्माण का लक्ष्य है।

विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र (FMISC) की स्थापना की गयी है। सूचनाओं का संकलन/विश्लेषण कर बेबसाइट पर प्रसारित किया जा रहा है। बिहार कोशी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत वीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना एवं टेक्निकल स्टडीज, मोटलिंग, जियोटेक्निकल स्टडीज एवं अनुसंधान कार्य प्रस्तावित है। साथ ही साथ कोशी तटबंध परिसंपत्ति प्रणाली की स्थापना भी प्रस्तावित है।

अब तक 615 हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया गया है। वर्ष 2016–17 में 638 हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करने का कार्यक्रम है। बिहार में जल–कर वसूलने का कार्य पूर्व में निदेशालय द्वारा किया जाता था, जिसे बंद करने के बाद कर वसूलने की दिशा में प्रगति नहीं हुई है। इसे दूर करने के लिए निजी संग्रहणकर्त्ता (Water Tax Collectors) द्वारा जल–कर वसूली किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

ty lalk/ku foHkkx dk o"k 2016&17 e 2]279-06 djkM #i; ¼nk gtkj nk lk mU;klh djkM N% yk[k #Ik;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g ftle ;ktuk en e 1]541-43 djkM #i; ¼,d gtkj ikp lk ,Drkyhl djkM rhrkyhl yk[k #;;½ ,o xj ;ktuk en e 737-63 djkM #i; ¼lkr lk lrhl djkM frjlB yk[k #Ik;½ 'kkfey gA

लघु जल संसाधन विभाग

कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य में 2012 से 2017 तक 25.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 5.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन का कार्य किया जाना है।

अभी सतही सिंचाई योजना की कार्यान्वित की जा रही कुल 176 अदद योजनाओं में से 5 योजनाएँ पूर्ण हुई हैं। 14,088 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित हुआ है। शेष 171 योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण कर कुल 66,636 हे० में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा।

नाबार्ड संपोषित कार्यान्वित की जा रही कुल 27 योजनाओं में से 2 योजनाओं को पूर्ण कर 1010 हे० सिंचाई क्षमता सृजित किया गया है। शेष योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण कराकर कुल 27,549 हे० सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा। त्वरित सिंचाई लाभ योजना अन्तर्गत कार्यान्वित कुल 129 अदद योजनाओं में से 72 योजनाएँ पूर्ण कर कुल 56,463 हे० सिंचाई क्षमता सृजित किया गया है।

ए०आई०बी०पी० अन्तर्गत कुल 141 करोड़ रुपये लागत की 47 योजनायें केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित की गयी हैं। उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 तक किया जायेगा। नाबार्ड फेज–08 एवं नाबार्ड फेज 11 के तहत 1,583 ऊर्जान्वित नलकूपों को चालू किया जा रहा है।

वर्ष 2016–17 में 462 राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कर 24,387 हे० अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा। आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत 323 राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कर 24,310 हे० अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन तथा नाबार्ड संपोषित योजनान्तर्गत 221 राजकीय नलकूपों का जीर्णोद्धार कर 14,760 हे० अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा।

''बिहार शताब्दी निजी नलकूप'' योजनान्तर्गत राज्य के सभी प्रखण्डों में 4'' व्यास के 70 मीटर से 100 मीटर तक की गहराई के छिछले नलकूपों के अधिष्ठापन पर 328 रुपया प्रति मीटर की दर से अधिकतम 15,000 रुपये और 70 मीटर से अधिक एवं 100 मीटर तक के मध्यम नलकूपों के अधिष्ठापन पर 597 रुपया प्रति मीटर की दर से अधिकतम 35,000 रुपये अनुदान दिया जायेगा।

2 से 5 एच०पी० का विद्युत/डीजल चालित सेन्ट्रीफ्यूगल अथवा समरसिबल पम्प सेट के लिए भी मूल्य का आधा अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

चीनी मिल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तीन चरणों में 508 नलकूपों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरु किया गया है।

239 नलकूपों को चालू कर लिया गया है, जिससे 19120 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। 38 जिलों में एक–एक प्रमण्डलीय कार्यालय स्थापित किया जा रहा है।

y?kq ty lalk/ku foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 592-90 djksM+ #i;s ¼ikap lkS fcjkuos djksM+ uCcs yk[k #i;s½ vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa ;kstuk en esa 324-01 djksM+ #i;s ¼rhu lkS pkSchl djksM+ ,d yk[k #Ik;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 268-89 djksM+ #i;s ¼nks lkS vM+lB djksM+ uokLlh yk[k #Ik;s½ 'kkfey gSaA

आपदा प्रबंधन विभाग

राज्य में विभिन्न आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, ओलापात, अग्निकांड, चक्रवातीय तूफान, बज्रपात, शीतलहर आदि से प्रभावित लोगों को सहाय्य प्रदान करने तथा उनसे न्यूनतम क्षति हो, इसके लिए सरकार सतत प्रयासरत है। गैर प्राकृतिक आपदा से घायल एवं मृत व्यक्तियों के परिवारों को अस्पताल में उनके उपचार पर व्यय हेतु अनुग्रह अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए सरकारी कर्मियों एवं समुदाय के प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु गोताखोरों का प्रशिक्षण, स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, मोटरबोट चालकों का प्रशिक्षण एवं भूकम्परोधी निर्माण हेतु विभिन्न एजेन्सियों यथा अभियन्ता, वास्तुविद, ठेकेदार, राजमिस्त्री आदि को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

वर्ष 2015 में 08 जिलों के प्रभावित 2.80 लाख मुफ्त सहाय्य के रुप में 205 क्वीं० खाद्यान्न, 11 लाख रुपये नगद अनुदान एवं 735 पॉलिथिन शीट्स का वितरण किया गया है। बाढ़ प्रवण जिलों हेतु 40 एफ०आर०पी० मोटरबोट एंव 194 इन्फ्लेटेबल मोटरबोट उपलब्ध कराये गये है। जल संसाधन विभाग को भी 110 मोटरबोट की आपूर्ति की गई है। अतिबाढ़ प्रवण सभी जिलों को 100–100 अतिरिक्त नाव तथा बाढ़–प्रवण जिलों को 50–50 अतिरिक्त नाव उपलब्ध कराया जायेगा।

सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से कुल 830 जी०पी०एस० सेट उपलब्ध कराये गए हैं।

36 जिलों में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माण पूर्ण हुआ है, 2 जिलों में निर्माणाधीन है।

बाढ़ आपदा के समय प्रयोग में आने वाली सामग्रियों यथा टेन्ट, महाजाल आदि के सुरक्षित भंडारण हेतु वेयर हाउस का निर्माण 26 जिलों में किया गया है, 02 जिलों में निर्माणाधीन है।

भूकम्प जोन अवस्थित एवं बाढ़–प्रवण जिलों यथा सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा,

अररिया एवं किशनगंज आदि जिलों में 10–10 मास्टर ट्रेनरों को बाढ़ एवं भूकम्प राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया है। 257 होमगार्डों को मोटरबोट परिचालन हेतु प्रशिक्षण दिया गया है।

अधिसूचित विशेष स्थानीय प्रकृति के आपदाओं के लिए भी प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य अनुदान दिया जाता है। पुनर्वास योजना अंतर्गत नदी कटाव से विस्थापित 1,459 परिवारों के लिए जिलों को 8.94 करोड़ रुपये तथा गैर प्राकृतिक आपदा मद में 476.81 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये है।

शताब्दी अन्न कलश योजनान्तर्गत निर्धन, बूढ़े, शिथलांग, विधवा, निराश्रित तथा आघातयोग्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भुखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गो को भुखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में नाम निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान में 1 क्विंटल खाद्यान्न का चक्रीय स्टॉक संधारित किया गया है।

भूकंपरोधी निर्माण कार्यो हेतु बिपार्ड के द्वारा 327 अभियंताओं/ वास्तुविदों/ भवननिर्माताओं एवं राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

Multi Hazard Disaster में बचाव एवं राहत कार्य हेतु स्वास्थ्य एवं पुलिस के कुल 167 कर्मियों को प्रथम फेज में तथा 161 कर्मियों को द्वितीय फेज में QMRT (Quick Medical Response Teams) में प्रशिक्षित किया गया है।

दियारा क्षेत्रों के 21 पंचायतों के कुल 1,050 व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति के भी कुल 4,150 लोगों को एन०डी०आर०एफ० की मदद से बाढ़ एवं भूकम्प में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया। राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है।

वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक–01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को निर्धारित सहाय्य मानदर के अनुरुप सहाय्य मुहैय्या कराया जायेगा जिसमें प्रति मृतक 4 लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान, विकलांगता की प्रतिशत के हिसाब से 2 लाख रुपये तक अनुदान,

अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 12,700 रुपये तक का अनुदान, प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात अति जरुरतमंद परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान के रुप में 60 रुपये प्रति वयस्क एवं 45 रुपये प्रति बच्चा की दर से भुगतान, लघु एवं सीमांत कृषकों को पशुपालन सहायता के रुप में 30 हजार रुपये तक सहायता प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक परिस्थिति में कितनी राशि का अनुदान/सब्सिडी होगा इसका विस्तृत ब्यौरा आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–1973 दिनांक–26.05.2015 में अंकित है।

vkink izc/ku foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 598-34 djksM #i;s ¼ikp lkS vUBkuos djksM pkSrhl yk[k #i;s½ vkofVr djus dk izLrko djrk gw ftlesa ;kstuk en esa 50-39 djksM #i;s ¼ipkl djksM mUkpkyhl yk[k #Ik;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 547-95 djksM #i;s ¼ikp lkS lSrkyhl djksM iUpkuos yk[k #Ik;s½ 'kkfey gSA

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की 89 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से पशु एवं मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। छोटे एवं सीमान्त भूमिहीन किसानों के जीविकोपार्जन हेतु स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुचिकित्सा सेवा एम्बुलेट्री भान के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

300 नये प्रथम वर्गीय पशुचिकित्सालयों की स्थापना कर निःशुल्क प्राणरक्षक पशु दवा, अत्याधुनिक मशीन एवं उपस्कर उपलब्ध कराकर सुलभ पशुचिकित्सा उपलब्ध करायी जा रही है।

1 (एक) करोड़ रुपये की लागत पर फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना को सुदृढ़ किये जाने की योजना है। मॉडल गोशाला विकसित करने हेतु 10 चयनित गोशालाओं को 20 लाख रुपये प्रति गोशाला अनुदान दिया जा रहा है।

11.36 करोड़ रुपये की लागत से कुक्कुट विकास हेतु अनुदान की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इवियन इन्फ्लूएंजा रोग के प्रभावी नियत्रंण हेतु कार्य किया जा रहा है। 1 (एक) करोड रुपये

मात्र की लागत पर राज्य में पशु विज्ञान, गव्य विज्ञान एवं मत्स्य तकनीक के अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु "Bihar University of Animal Science Technology" की स्थापना प्रस्तावित है। पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 163.15 लाख पशुओं को एफ०एम०डी० संक्रामक रोग से बचाव हेतु टीकाकृत किया गया है। अनु० जाति/जनजाति के सदस्यों को गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की विशेष अंगीभूत योजना कार्यान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कम्फेड द्वारा 1,000 दुग्ध समितियाँ गठित की जा रही हैं तथा 20 इकाई दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

राज्य के दुग्ध संघों यथा देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी, वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना, मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर, शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा एवं बिहारशरीफ डेयरी प्रोजेक्ट, नालन्दा में स्थित ई०टी०पी० संयंत्रों की 2.25 करोड़ रुपये की लागत पर सुदृढ़ीकरण की योजना है।

200 इकाई स्वचालित मिल्कींग मशीन स्थापित किये जायेंगे। कम्फेड, पटना में दो करोड़ पैंतीस लाख रुपये के अनुमानित व्यय पर केन्द्रीय प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में समेकित मुर्गी विकास योजनान्तर्गत पी०पी०पी० मोड पर निजी क्षेत्रों में वृहत्त पैमाने पर ब्रायलर/लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना तथा समेकित बकरी विकास योजना अंतर्गत मरंगा पूर्णियाँ में स्थापित बकरीपालन–सह–प्रजनन प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण निजी क्षेत्रों में किया जाना है। पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत पशु टीकाकरण का कार्य किया जायेगा।

देशी नस्ल के गोवंशों का संरक्षण तथा सम्वर्द्धन अत्याधुनिक मॉडल गोशाला के रुप में विकसित, बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं विस्तारीकरण तथा एक सौ अतिरिक्त नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना की जायेगी।

कृषि रोड मैप (2012–17) के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्य के क्रियान्वयन हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन का कार्य कॉम्फेड, पटना के माध्यम से कराये जाने का कार्यक्रम है।

पॉल्ट्री फेडरेशन की स्थापना एवं सूकर (Pig) अनुसंधान–सह–सूकर पालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी।

दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुये कृषकों, बेरोजगार युवको–युवतियों, कमजोर वर्ग के मजदूर को ऋण–सह–अनुदान पर डेयरी फार्मिंग के माध्यम से सशक्तिकरण, रोजगार के अतिरिक्त अवसर का सृजन एवं डेयरी प्लांट की क्षमता का विस्तारीकरण–सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। अविकसित सरकारी तालाबों का नवनिर्माण, जीर्णोद्धार तथा जल जमाव एवं आर्द्र जनित क्षेत्रों को जल कृषि के अन्तर्गत लाने का कार्यक्रम है।

मत्स्य विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्यों तथा निजी मत्स्य पालकों को मत्स्य तकनीक से प्रशिक्षित करने तथा उपलब्ध जलस्रोतों में तेजी से विकास करने वाले मत्स्य प्रजाति का समावेश करने तथा मत्स्य बीज एवं मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को मत्स्यपालन हेतु प्रेरित करने के लिए अनुदान दिया जायेगा।

तालाबों में जल की उपलब्धता एवं जल स्तर बनाये रखने हेतु सोलर–पम्प का अधिष्ठापन, आर्द्र जल क्षेत्रों का विकास एवं फिश फेडरेशन की स्थापना तथा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फिश–फीड–मिल उद्योग की स्थापना का लक्ष्य है।

i'k ,o eRL; l lk/ku foHkkx dk o"k 2016&17 e 544-19 djkM #i; ¼ikp lk pkokyhl djkM mUuhl yk[k #Ik;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ftle ;ktuk en e 295-22 djkM #i; ¼nk lk iUpkuo djkM ckbl yk[k #Ik;½ ,o xj ;ktuk en e 248-97 djkM #i; ¼nk lk vMrkyhl djkM lUrkuo yk[k #Ik;½ 'kkfey gA

सहकारिता विभाग

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल लगाने के निमित्त कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है।

अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2015–16 में 268.38 करोड़ रु० खरीफ ऋण एवं 10.14 करोड़ रु० रब्बी ऋण किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। दिनांक–30.11.15 तक कुल 9,71,186 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 1,365.68 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से समेकित सहकारी विकास परियोजना 08 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजनान्तर्गत 32 पैक्सों एवं 05 व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण कार्य़ पूर्ण हो चुका है।

कृषि रोड मैप 2012–17 के अन्तर्गत पैक्सों/व्यापार मडलों के भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए दिनांक 22.12.2015 तक 292 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिससे 79 हजार मे० टन की क्षमता सृजित हुई है। 628 गोदाम निर्माणाधीन है, इसके पूर्ण होने पर 1.43 लाख मे० टन क्षमता का सृजन होगा। अब तक कुल 37 चावल मिल–सह–गैसीफायर का निर्माण पूरा हो गया है, तथा 94 में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पैक्सों को उर्वरक भंडारण हेतु 2 लाख रु० की दर से कुल 3,209 पैक्सों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया गया है।

पैक्सों में सदस्यता वृद्वि अभियान चलाकर अब तक कुल 1,06,07,674 सदस्य बनाये गये हैं, जिसमें 99,53,443 पुरुष तथा 6,54,231 महिला सदस्य हैं।

बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम, 2013 अंतर्गत सहकारी समितियों, स्वावलम्बी सहकारी समितियों के प्रबंधन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछ़ड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी सहकारी समितियों के प्रबंधन में सुनिश्चित किया गया है। सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को अधिकृत किया गया है।

lgdkfjrk foHkkx dk o"k 2016&17 e 670 djkM #i; ¼N% lk lÙkj djkM #Ik;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ft le ;ktuk en e 566-08 djkM #i; ¼ikp lk fN;klB djkM vkB yk[k #i;½ ,o xj ;ktuk en e 103-92 djkM #i; ¼,d lk rhu djkM fcjkuo yk[k #Ik;½ 'kkfey gA

<u>पर्यावरण एवं वन विभाग</u>

राज्य के सम्पूर्ण भू–भाग के अनुपात में वर्तमान में 12.88 प्रतिशत वृक्षाच्छादन को वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने हेतु सरकार द्वारा हरियाली मिशन नामक एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजनान्तर्गत पटना तथा अन्य प्रमुख शहरों में वृक्षारोपण किया जायेगा। अवकृष्ट वनों का पुनर्वास तथा मिट्टी एवं नमी संरक्षण कार्य 20,000 हे० क्षेत्र में तथा मृदा एवं नमी संरक्षण के अंतर्गत 40,000 हे० में कुल 235 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष के लंबित कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।

नदी तटबंध तथा नहर तटबंध में क्रमशः 8.72 लाख तथा 16.55 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। कृषि वानिकी के अंतर्गत किसानों की भूमि पर पॉपलर के 65.26 लाख तथा अन्य प्रजाति के 70 लाख कुल 135.26 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (पॉपलर) के अंतर्गत पौधशालाओं से कुल 108.64 लाख पौधे एवं मुख्यमंत्री निजी पौधशाला के अंतर्गत अन्य प्रजाति के 83.20 लाख पौधे किसानों द्वारा उगाने का लक्ष्य है। विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य पर इन पौधों का क्रय कर कृषि वानिकी तथा अन्य योजनाओं में उपयोग किया जायेगा। 127 लाख अन्य प्रजाति के पौधे उगाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

i;koj.k ,o ou foHkkx dk o"k 2016&17 e 242-27 djkM #i; ¼nk lk c;kyhl djkM lrkbl yk[k #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ft le ;ktuk en e 116-50 djkM #i; ¼,d lk lkyg djkM ipkl yk[k #Ik;½ ,o xj ;ktuk en e 125-77 djkM #i; ¼,d lk iPphl djkM lrgÙkj yk[k #Ik;½ 'kkfey gA

शिक्षा विभाग

राज्य सरकार ने 6–14 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों को उम्र–सापेक्ष दक्षता देकर अभी तक 1,88,588 (एक लाख अठासी हजार पाँच सौ अठासी) बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय से बाहर के 1,91,538 (एक लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ अड़तीस) बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया चल रही है।

4,136 माध्यमिक शिक्षकों का तथा 5,423 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन किया गया है। 686 नृत्य माध्यमिक शिक्षक, 686 ललितकला माध्यमिक शिक्षक एवं 2,937 संगीत माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। 1,000 कम्प्यूटर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गयी है।

नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षको एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 1 जुलाई, 2015 से निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है। उर्दू एवं बंग्ला भाषा शिक्षकों के 26,000 पदों पर नियोजन प्रक्रियाधीन है।

राज्य में 5 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मगध विश्वविद्यालय, बोधगया परिसर में 119 एकड़ भूमि में स्थापित आई०आई०एम० में सत्र 2015–16 से पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है।

अब तक पंचायतों के 1,291 मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए वर्त्तमान शैक्षिक सत्र से कक्षा 9 तक अध्यापन प्रारंभ किया गया है। 1,291 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत वर्ग 1 से 8 तक के नामांकित कुल 1.34 करोड़ बालक–बालिकाओं को पोशाक उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत नवम् से बारहवीं कक्षा के कुल 18.82 लाख छात्राओं को पोशाक उपलब्ध करायी गयी है। मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत 9वीं कक्षा में नामांकित 8.49 लाख छात्र एवं 8.87 लाख छात्राओं को साईकिल उपलब्ध करायी गयी है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के छात्राओं के लिए प्रति छात्रा 10,000/– रुपये की दर से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 78,948 छात्राओं हेतु 70.95 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

इस वर्ष राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत सामान्य कोटि के कुल 21.89 लाख बालक–बालिकाओं को जिनकी पारिवारिक आय अधिकतम 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष है, छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी गयी है।

सरकारी विद्यालयों, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त), माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत 3.54 लाख छात्राओं को 6,377.65 लाख रुपये की राशि छात्रवृत्ति मद में उपलब्ध करायी गयी है।

उच्च जाति के 30,000 छात्रों को, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं एवं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है, उन्हें प्रति छात्र 10,000 रुपये की दर से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत सामान्य कोटि के वैसे छात्र जिनकी पारिवारिक आय अधिकतम 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष है, से संबंधित 3.30 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु कुल 29.70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत वर्ग 8 से 12 तक नामांकित 33.06 लाख छात्राओं को सैनेटरी नैपकिन क्रय करने हेतु प्रति छात्रा 150 रुपये की दर से राशि स्वीकृत की गयी है।

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कुल 3,345 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अन्तर्वीक्षा द्वारा नियुक्ति प्रारंभ हो चुकी है। 36 महाविद्यालयों को NAAC से मान्यता प्राप्त हुई है।

गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए ^Mfe'ku x|.koÙkk** नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत स्वीकृत 16,330 नये प्राथमिक विद्यालय भवन के विरुद्ध 11,416 भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत अब तक कुल स्वीकृत 2,97,984 वर्ग कक्ष के विरुद्ध 2,44,080 वर्ग कक्षों का निर्माण पूर्ण हो गया है।

^LoPN fo|ky; % LoPN Hkkjr** के अन्तर्गत शौचालय विहीन विद्यालयों में कुल 40,027 शौचालय का निर्माण कर राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कम–से–कम दो इकाई शौचालय बालक एवं बालिका के लिए अलग–अलग उपलब्ध करा दी गई है।

कक्षा 1 से 8 तक के 1.55 करोड़ (97%) बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 74.17 लाख (97%) वर्ग 1 और 2 तथा 6 से 8 के अनु०जाति/जनजाति के सभी बालिकाओं को पोशाक हेतु रुपये 400/–प्रति बच्चा की दर से राशि उपलब्ध कराई गयी है।

सरकारी विद्यालयों में नामांकित 62% बच्चों का आधार–पंजीकरण किया जा चुका है। छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का नगदी हस्तांतरण (Cash Transfer) बच्चों के माता/पिता/अभिभावक के खाता में किया जा रहा है।

महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल कार्यक्रम के तहत 15 से 35 आयु वर्ग की कुल– 20.70 लाख शिक्षुओं को नामांकित किया गया है। वर्ग I-VIII में पढ़ने वाले 1.36 करोड़ छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता के विकास हेतु विश्व बैंक के साथ राज्य सरकार ने "Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar" के लिए एकरारनामा किया है। परियोजना की अवधि वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 है। परियोजना अन्तर्गत अध्यापक शिक्षा संस्थान का आधारभूत संरचना का विकास एवं उसका संस्थागत क्षमतावर्द्धन करना, शिक्षक प्रदर्शन (Performance) इंडिकेटर का विकास एवं उस पर आधारित बेसलाईन सर्वेक्षण, अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों के प्रोत्साहन हेतु नीति निर्धारित की जाएगी।

सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 के तहत् 7 निश्चयों के अन्तर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत् शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराने का उद्देश्य है। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगा। इस योजना के तहत् अधिकतम 4 लाख रुपये की सीमा तक शिक्षा ऋण पर अर्हत्ताधारी विद्यार्थी के लिए डिफॉल्ट की दशा में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि संबंधित बैंकों को सुलभ करायी जायेगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक संरचना तथा रोजगार– विकास के महत्वपूर्ण पैमाने हैं। हमारे लिए शिक्षा का अर्थ है–

विद्यार्थी + निपुण शिक्षक + जागरुक अभिभावक+गुणवत्ता के साथ पढ़ाई = विद्यालय।

मरहुम निदा फाजली साहब का शेर है–

''घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ करें,

किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाय''।

f'k{kk foHkkx dk o"k 2016&17 es 21]897-02 djkM #i;s ¼bDdhl gtkj vkB lks lUrkou djkM nks yk[k #Ik;½ vkofVr djus dk iLrko djrk g] ftles ;ktuk en es 10]950-14 djkM #i;s ¼nl gtkj uks lks ipkl djkM pkng yk[k #Ik;½ ,o xSj ;ktuk en es 10]946-88 djkM #i;s ¼nl gtkj uks lks fN;kyhl djkM vBklh yk[k #Ik;½ 'kkfey gSA

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

उत्कृष्ट कोटि के मानव संसाधन के विकास में विज्ञान एवं प्रावैधिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। नागरिकों के जीवन का गुण समुन्नयन तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शोध, जैव वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण की चुनौतियों का सामना प्रौद्योगिकी के हस्तानान्तरण कर ही किया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से राज्य में यह कार्य किया जा रहा है।

राज्य में 7 अभियंत्रण महाविद्यालयों, 22 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिकों तथा 11 राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालयों एवं 01 राजकीय मुद्रण प्रौद्योगिक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलटेकनिकों में संविदा पर शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां की गई है। इनमें आवश्यक मशीन, पुस्तकें एवं उपस्कर उपलब्ध करायी जायेगी। सभी जिलों में एक–एक अभियंत्रण महाविद्यालय तथा एक पॉलटेकनिक की स्थापना की जानी है।

बेगुसराय, मधेपुरा, सीतामढ़ी, रोहतास, कटिहार एवं पटना (बख्तियारपुर) में नवस्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय के भवनों के निर्माण एवं समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, गया, गोपालगंज, भोजपुर, औरंगाबाद, प० चम्पारण, किशनगंज एवं नवादा जिलों में पोलिटेकनिक की स्थापना की जायेगी।

दरभंगा तथा गया जिला में तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय के निर्माण एवं उसका विकास किया जाना है। पटना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी का निर्माण एवं विकास प्रस्तावित है।

इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर—तारामंडल, पटना में नया प्रोजेक्शन सिस्टम की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन किया जायेगा। रोहतास जिला में शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार जिला में कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय तथा पटना जिला में बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेखपुरा जिला के शेखोपुरसराय अंचल में तथा पटना जिला के बाढ़ अंचल में नया पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, रोहतास, लखीसराय, नालन्दा एवं शिवहर सहित कुल 8 जिलों में नवस्थापित पोलिटेकनिक संस्थानों के नवनिर्मित भवनों में वर्ष 2015–16 से सत्रारंभ किया गया है। नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के प्रथम चरण के प्रस्तावित भवनों का तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर के नये परिसर में भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों एवं तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति हेतु सेवा नियमावली तैयार की गई है।

foKku ,oa izkoS|ksfxdh foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 227-32 djksM+ #i;s ¼nks lkS lRrkbZl djksM+ crhl yk[k #Ik;s½ vkofVr djus dk izLrko djrk gw¡ ftlesa ;kstuk en esa 151-45 djksM+ #i;s ¼,d lkS bD;kou djksM+ iSarkyhl yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 75-87 djksM+ #i;s ¼ipgÙkj djksM+ lRrklh yk[k #i;s½ 'kkfey gSA

स्वास्थ्य विभाग

मातृ–स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार हेतु कुल 60 First Referral Units (FRU) क्रियाशील है, इसे 2016–17 में 100 करने का लक्ष्य है।

राज्य में सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती माताओं का शत–प्रतिशत निबंधन किये जाने का लक्ष्य है। 6 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में विशेष नवजात देखभाल इकाई स्थापित है। 5 जिला अस्पताल स्तर पर विशेष नवजात देखभाल इकाई तथा 350 अतिरिक्त नवजात शिशु देखभाल केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना है।

उच्च प्राथमिकता वाले 10 जिलों के एक चयनित FRU पर तथा सभी 6 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों पर 10 शैय्या वाले पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है।

नियमित टीकाकरण का मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम 7 अप्रैल 2015 से राज्य के 14 जिलों में चार चरणों में संचालित है। शेष 24 जिलों में मुख्यमंत्री सघन टीकाकरण अभियान चलाया गया। राज्य में 10 नये ए०एन०एम० तथा 10 नये जी०एन०एम० स्कूल की स्थापना की जा रही है।

राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सभी रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करायी जा रही है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कई शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 510 नवजात शिशु देखभाल केन्द्र, 35 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई तथा 16 विशेष नवजात देखभाल इकाई (SNCU) की स्थापना की गई है। आशा द्वारा प्रत्येक नवजात, जिनका जन्म सरकारी संस्थान में हुआ है उनको 6 बार तथा घर पर हुए प्रसव की स्थिति में 7 बार माता एवं नवजात शिशु के देखभाल हेतु गृह भ्रमण सुनिश्चित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत 1,637 आयुष चिकित्सक, 755 ए0एन0एम0 एवं 764 फार्मासिस्ट नियोजित किये गये हैं। कुल 819 चलन्त चिकित्सा दलों का गठन किया गया है।

तीन नये चिकित्सा महाविद्यालय छपरा, समस्तीपुर एवं पूर्णियाँ में खोले जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार से मिली है। राज्य में 5 नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, हर जिले में कम–से–कम एक जी0एन0एम0 स्कूल की स्थापना, हर जिले में कम–से–कम एक पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में ए०एन०एम० स्कूल की स्थापना हेतु राज्य सरकार संकल्पित है। अगले पाँच वर्षों में राज्य में सरकारी एवं निजी

प्रक्षेत्र में कुल 23 चिकित्सा महाविद्यालय, 9 नर्सिंग कॉलेज, 38 जी०एन०एम० स्कूल, 38 पारा मेडिकल संस्थान एवं 101 ए०एन०एम० स्कूल स्थापित हो जायेंगे।

आई०जी०आई०एम०एस०, पटना में स्टेट कैंसर संस्थान और भागलपुर में टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर की स्थापना केन्द्र सरकार के सहयोग से किया जाना प्रस्तावित है ।

चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में निजी क्षेत्र को पूंजी निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार बिहार स्वास्थ्य सेवा निवेश प्रोत्साहन नीति तैयार कर रही है। इससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार तथा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

कार्यरत/सेवा निवृत कर्मचारियों के लिए प्रभावकारी स्वास्थ्य योजना लागू की जायेगी। हमारे लिए स्वास्थ्य का अर्थ है– रोगी + डॉक्टर + ईलाज = अस्पताल।

LokLF; foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 8]234-70 djksM+ #i;s ¼vkB gtkj nks lkS pkSrhl djksM+ lÙkj yk[k #i;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gw¡ ftlesa ;kstuk en esa 5]337-18 djksM+ #i;s ¼ikp gtkj rhu lkS lSrhl djksM+ vBkjg yk[k #Ik;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 2]897-52 djksM+ #i;s ¼nks gtkj vkB lkS lUrkuos djksM+ ckou yk[k #Ik;s½ 'kkfey gSA

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

मुख्यमंत्री चापाकल योजनान्तर्गत बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर 35,236 चापाकल तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बसावटों के आच्छादान हेतु 18,649 चापाकल लगाए गए हैं।

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनान्तर्गत 64 एवं मिनी पाइप जलापूर्ति योजनान्तर्गत 30 योजनाएं पूर्ण कर चालू की गयी हैं।

प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 1,950 चापाकल लगाए गए हैं। रनिंग वाटर की व्यवस्था हेतु 1,506 योजनाएँ चालू की गई हैं।

राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड के एक अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य टोले में सौर उर्जा चालित पम्प के साथ 30 जलापूर्ति योजनाएँ क्रियाशील हैं तथा 187 योजनाओं पर कार्य प्रगति में है। फ्लोराईड एवं लौह प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु सौर उर्जा चालित पम्प एवं ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 66 मिनी जलापूर्ति योजनाएँ पूर्ण की गई हैं। 204 योजनाओं का कार्य प्रगति में है।

11 आई०ए०पी० जिलों में सोलर पम्प आधारित 136 योजनाएँ क्रियाशील हैं एवं 14 योजनाओं पर कार्य प्रगति में है।

आर्सेनिक प्रभावित बसावटों में 125 मी० गहरे 327 नलकूपों को अधिष्ठापित किया गया है।

बेगुसराय जिला के मटिहानी, बरौनी एवं बेगुसराय प्रखण्डों के आर्सेनिक प्रभावित 111 ग्रामों/बसावटों के लिए 191.78 करोड़ रुपये की राशि पर स्वीकृत सतही जल (गंगा नदी) आधारित बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत बेगुसराय जिला के चेरिया बरियारपुर प्रखण्ड में सतही जल आधारित स्वीकृत चेरिया बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

LoPN Hkkjr fe'ku (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों एवं पंचायतों द्वारा शौचालय निर्माण तथा शौचालय के उपयोग एवं हाथ धोने हेतु जल के संधारण की व्यवस्था करने पर कुल 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की दर से अब तक कुल 1.60 लाख परिवारों में शौचालय निर्माण कराया गया हैं।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को अगले 5 वर्षों में स्वच्छ तथा खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कुल 22,164.29 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत है जिसके तहत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

गंगा के किनारे अवस्थित 307 ग्राम पंचायतों को, जुलाई 2017 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त बनाये जाने का लक्ष्य है।

गरीबी रेखा के ऊपर ए०पी०एल० परिवार को लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए 4,600 रुपये की जगह 12,000/–रुपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

ykd LokLF; vfHk;=.k foHkkx dk o"k 2016&17 e 1]754-99 djkM #i; ¼,d gtkj lkr lk pkou djkM fuU;kuo yk[k #Ik;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ft le ;ktuk en e 1]335-67 djkM #i; ¼,d gtkj rhu lk irhl djkM lMlB yk[k #Ik;½ ,o xj ;ktuk en e 419-32 djkM #i; ¼pkj lk mUuhl djkM crhl yk[k #Ik;½ 'kkfey gA

उर्जा विभाग

अक्टूबर, 2014 में राज्य में पीक लोड पर 2,831 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति होती थी जो अक्टूबर, 2015 में बढ़कर 3,459 मेगावाट हो गयी है।

काँटी थर्मल पावर स्टेशन में दो यूनिट से 220 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है तथा 195 मेगावाट की दो नई इकाईयों में निर्माण कार्य जारी है।

बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 110 मेगावाट की दो इकाईयों का जीर्णोद्वार एवं नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है जिन्हें जून 2016 में एवं 2 x 250 मेगावाट की दो नई इकाईयों का विस्तारीकरण कार्य दिसम्बर 2016 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

नवीनगर स्टेज–1 में 660 मेगावाट की तीन इकाईयों का निर्माण कार्य जारी है। चौसा (बक्सर) में 660 मेगावाट की दो इकाईयों के पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इसके अतिरिक्त पीरपैंती (भागलपुर) एवं कजरा (लखीसराय) में भी 2x660 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु क्रमषः एन०एच०पी०सी० तथा एन०टी०पी०सी० के साथ भी समझौता किया गया है।

बाँका अल्ट्रामेगा पावर प्रोजेक्ट (4,000 मेगावाट) की स्थापना हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ।

वर्त्तमान में राज्य में ग्रिड सबस्टेशनों की संख्या 98 हो गई है जिसके फलस्वरुप संचरण प्रणाली की पावर evacuation क्षमता करीब 5,360 मेगावाट हो गयी है। कुल संचरण लाईन की लम्बाई 7,920 सर्किट किलोमीटर से बढ़ाकर करीब 9,307 सर्किट किलोमीटर की गयी है। ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत 1,619 अविद्युतीकृत ग्रामों को ऊर्जान्वित किया गया है तथा 6,66,752 बी0पी0एल0 परिवारों को नया विद्युत कनेक्शन दिया गया है।

16 के०वी०ए० एवं 25 के०वी०ए० के त्रुटिपूर्ण ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता के आधार पर MPLAD एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत बदला जा रहा है तथा अब तक 25,747 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णरुपेण ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य जारी है।

बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अंतर्गत पाँच जिलों में 560 अदद सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम अधिष्ठापन का कार्य जारी है। 493 सोलर पम्प का अधिष्ठापन पूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत 11 जिलों में 1000 सोलर पम्प का कार्य प्रगति पर है एवं 989 सोलर पम्प अधिष्ठापित की गयी है।

बी०ई०ई० योजना के तहत पटना नगर निगम में परम्परागत Street light को बदलकर 1,989 अदद LED Street light अधिष्ठापित की गई।

mtkZ foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 14]367-84 djksM+ #i;s ¼pkSng gtkj rhu lkS lM+lB djksM+ pkSjklh yk[k #i;s½ vkoafVr djus dk izLrko djrk gw¡] ftlesa ;kstuk en esa 9]658-60 djksM+ #i;s ¼ukS gtkj N% lkS vUBkou djksM+ lkB yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 4]709-24 djksM+ #i;s ¼pkj gtkj lkr lkS ukS djksM+ pkSchl yk[k #i;s½ 'kkfey gSaA

ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 177 रुपये दी जा रही है जबकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का दर 162 रुपये है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 5,290. 45 लाख रुपये की अंतर्राशि का वहन अपने खजाने से किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर 2015 तक 3 करोड़ 52 लाख 69 हजार मानव दिवस सृजित किये गये हैं। 9 लाख 12 हजार परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराया गया है, जिसपर 1,014 करोड़ 42 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के बसावटों के लिए सम्पर्क सड़क, उनका पक्कीकरण एवं नाली निर्माण की 6,882 योजनाएं पूर्ण की गयी है, 66,797 योजनाओं में कार्य हो रहे हैं। पंचायतों में मनरेगा भवन निर्माण की 5,672 योजनाओं की स्वीकृति हैं, जिसमें से 3,504 योजनाओं का कार्य चल रहा है। 418 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1.89 लाख चयनित लाभार्थियों हेतु आवास की स्वीकृति दी गई है। 358.48 करोड़ रुपये व्यय कर लम्बित 2.05 लाख आवासों को पूर्ण किया गया है।

28,264 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों जिनका आवास विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं हो सका था, उन्हें मुख्यमंत्री इन्दिरा आवास जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत 30,000/– रु0 की दर से राशि का भुगतान कर 5,762 अपूर्ण आवासों को पूर्ण किया गया है।

जीविका अन्तर्गत अब तक 4.60 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन कर 1.40 लाख समूहों को बैंको के माध्यम से वित्त पोषण कराते हुए रोजगार मुहैय्या कराया गया है।

आधार–कार्ड पंजीकरण अन्तर्गत राज्य के कुल 6.22 करोड़ व्यक्तियों का आधार कार्ड सृजन किया जा चुका है। शत–प्रतिशत लोगों का आधार सृजन हेतु प्रखण्डों में कार्यरत RTPS पटल अन्तर्गत किट उपलब्ध कराकर लोगों का आधार सृजन करने का निर्णय लिया गया है।

मनरेगा अन्तर्गत 2.64 करोड़ श्रमिकों में से 1.50 लाख श्रमिकों का आधार–सीडिंग का कार्य अबतक कराया जा चुका है।

सासंद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत लोकसभा के 40 माननीय सदस्यों एवं राज्य सभा के 13 माननीय सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन कर लिया गया है एवं चयनित 53 ग्राम पंचायतों में से 52 ग्राम पंचायतों का बेस लाईन सर्वेक्षण पूर्ण कर ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई है।

33 जिलों के 101 प्रखंडों में NABARD के RIDF योजना अन्तर्गत से 935.47 करोड़ रुपये की लागत से प्रखंड सूचना प्राद्योगिकी भवन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

विकसित बिहार के निश्चय हेतु पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ ग्राम पंचायत डेवलपमेन्ट प्लान (GPDP) तैयार किया जा रहा है। सभी बसावटों में पक्की गली–नाली, सभी घरों में नल का स्वच्छ जल, शौचालय, बिजली से संबंधित योजना को समावेशित करते हुए पंचायतों की विकास योजना (GPDP) तैयार की जा रही है।

प्रखण्ड की कार्यक्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने हेतु प्रखण्ड की प्रशासनिक संरचना में नवीनता लाने एवं वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

xkeh.k fodkl foHkkx dk o"k 2016&17 e 5]510-06 djkM #i; ¼ikp gtkj ikp lk nl djkM N% yk[k #Ik;½ vkofVr djus dk iLrko djrk g ft le ;ktuk en e 5]204-13 djkM #i; ¼ikp gtkj nk lk pkj djkM rjg yk[k #Ik;½ ,o xj ;ktuk en e 305-93 djkM #i; ¼rhu lk ikp djkM frjkuo yk[k #Ik;½ 'kkfey gA

<u>पंचायती राज विभाग</u>

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने, स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उन्हें और सबल बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2016–17 में 14वें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री निश्चय योजना एवं राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत राशि स्वीकृत की जायेगी।

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में भत्ता भुगतान के लिए 228.91 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध करायी गयी है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन एवं विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तरालों को भरने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2016–17 में बुनियादी अनुदान के रुप में 3,142.08 करोड़ रुपये एवं निष्पादन अनुदान के रुप में 412.15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जाना है। पंचम राज्य वित्त अयोग की अनुशंसा के अलोक में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय (वास्तविकी) का 2.75 प्रतिशत स्थानीय निकायों को राज्य के कर राजस्व में हिस्सा एवं अनुदान (Devolution + Grant) के रुप में अंतरित किया जायेगा।

सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए *e[;e=h d lkr fu'p;* एवं अन्य संकल्पों के कार्यान्वयन अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सम्पर्क पथ निर्माण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाईट निश्चय योजना हेतु वर्ष 2016–17 में 680.00 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु 400.00 करोड़ रु० प्रस्तावित है जो कि योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन किया जायेगा।

ipk;rh jkt foHkkx dk o"kZ 2016&17 e 7]183-92 djkM #i;s ¼lkRk gtkj ,d lkS frjklh djkM cjkuos yk[k #Ik;½ vkofVr djus dk iLrko djrk g] ftles ;ktuk en e 1]236-92 djkM #i;s ¼,d gtkj nks lkS NÙkhl djkM cjkuos yk[k #Ik;½ ,oa xSj ;ktuk en e 5]947-00 djkM #i;s ¼ikp gtkj uks lkS lSrkyhl djkM #Ik;½ 'kkfey gSA

योजना एवं विकास विभाग

राज्य के लिए पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं का सूत्रण, स्वीकृति एवं अनुश्रवण करना तथा कृषि सांख्यिकी, जीवनांक सांख्यिकी एवं सांख्यिकी से संबंधित अन्य कार्यो का कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाता है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2016–17 में किया जायेगा।

e[;ea=h fu'p; Lo;a lgk;rk ;ktuk& माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चयों के अन्तर्गत 20–25 वर्ष के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवकों को 2 वर्ष तक प्रत्येक माह रु० 1,000/–की स्वयं सहायता भत्ता उपलब्ध कराने हेतु एक नयी योजना का सूत्रण किया गया है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1,371.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अनुश्रवण और समवर्ती मूल्यांकन के माध्यम से परियोजनाओं की लागत और कार्यान्वयन अवधि के विस्तार को रोकना हमारी प्राथमिकता होगी। योजना एवं विकास विभाग को यह दायित्व दिया जायेगा कि समय पर परियोजना की स्वीकृति, स्वीकृत्योदश, राशि की विमुक्ति इत्यादि पर नजर रखें। इससे समय पर योजना पूरी होगी और पाँच वर्षों के अन्दर ही लोगों का उसका लाभ मिलने लगेगा। क्षेत्रीय असंतुलन के मद्देनजर जिलावार योजनाओं की स्वीकृति, उद्व्यय एवं रणनीति तैयार करने का दायित्व योजना एवं विकास विभाग का होगा।

;ktuk ,oa fodkl foHkkx dk o"kZ 2016&17 e 3]503-89 djkM #i;s ¼rhu gtkj ikp lkS rhu djkM uoklh yk[k #Ik;½ vkofVr djus dk iLrko djrk g] ftles ;ktuk en e 3]304-63 djkM #i;s ¼rhu gtkj rhu lkS pkj djkM frjlB yk[k #Ik;½ ,oa xSj ;ktuk en e 199-26 djkM #i;s ¼,d lkS fuU;kuos djkM NCchl yk[k #Ik;½ 'kkfey gSA

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से कार्यान्वित की जा रही है। अभी तक सभी स्त्रोत से 2.38 लाख परिवारों को 7,170.40 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है। गृहस्थल योजनांतर्गत अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर), अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर–I तथा एनेक्सर–II के वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें सरकारी भूमि अथवा बी० पी० पी० एच० टी० एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिए बीस हजार रुपए प्रति 03 डिसमल जमीन के क्रय में हो रही कठिनाई के कारण न्यूनतम प्राक्कलित मूल्य (MVR) के आधार पर रैयती भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II के वासरहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमल भूमि उपलब्ध कराया जाना है।

अभियान बसेरा योजनांतर्गत भी 31,600 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गई है। राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन तथा कलस्टर (यथासम्भव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात् 100 डिसमल) वास हेतु तथा वास भूमि के अलावा 20 डिसमल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नीति, 2015 लागू की गयी है।

सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत वैसे ग्राम/टोले/मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि का क्रय किया जा रहा है। बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वास भूमि रहित परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014 अंतर्गत चिन्हित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को 30 वर्ग मीटर अधिकतम सीमा तक सतत लीज पर वास भूमि आवंटित की जायेगी। शहरी क्षेत्र में दस वर्ष या उससे अधिक से निवास कर रहे वासभूमि रहित शहरी BPL परिवारो को शहरी क्षेत्र में तथा इस क्षेत्र में भूमि अनुपलब्ध होने पर उनकी सहमति से निकटवर्ती पंचायत में 5 डी० भूमि क्रय कर उपलब्ध करायी जायेगी।

ऑपरेशन दखल–देहानी के तहत राज्य में बेदखल पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम नामक केन्द्र प्रायोजित योजना राज्य में कार्यान्वित की जा रही है।

भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण हेतु कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण, खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण किया जा रहा हैं।

डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार स्थापित किया जा रहा है, जिससे राज्य के प्रत्येक अंचल के भू–धारियों को भू–अभिलेखों की प्राप्ति सुगमता से हो सकेगी।

इस हेतु आधुनिक उपकरणों को प्रत्येक डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार में स्थापित कराया जा रहा है। सभी 534 अंचलों में भवन निर्माण कराये जाने के अंतर्गत अब तक 246 अंचलों का भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 145 अंचलों के लिए आधुनिक उपकरण बेलट्रॉन द्वारा आपूर्ति किया जा चुका है।

सर्वे मानचित्रों के डिजिटाईजेशन योजनान्तर्गत सर्वप्रथम राज्य के सभी 38 जिलों का कैडस्ट्रल एवं 28 जिलों में रिविजनल मानचित्रों का डिजिटाईजेशन पूरा कर लिया गया है। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से राज्य के सभी जिलों के डिजिटल राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अगले चरण में शेष सभी जिलों के सदर अंचलों से डिजिटल राजस्व मानचित्र आपूर्ति का कार्य प्रारंभ करने की योजना है।

राज्य के प्रत्येक भू–धारी के अद्यतन चालू खतियान का निर्माण एवं कम्प्यूटरीकरण करते हुए विभागीय वेबसाईट पर डाटा का प्रकाशन तथा सुविधा केन्द्रों से रैयतों/किसानों को खतियान की आपूर्ति की जा रही है। इस हेतु ''भू–अभिलेख–2'' नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन की संकर प्रणाली के माध्यम से री–सर्वे मानचित्र तैयार कराया जा रहा है।

चल–अचल सम्पत्ति का Monitoring करना भी वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक है। इसके लिए सरकारी भूमि की सूची तैयार की जा रही है तथा LAND BANK की स्थिति को देखने के बाद जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। सड़क आदि Infrastructure Projects को इससे अलग रखा जायेगा। वित्तीय प्रबंधन में IT के उपयोग की समीक्षा कर इसके बेहतर उपयोग हेतु तेज अभियान चलाया जायेगा। इससे समय के बचत के साथ ही वित्तीय अनियमितता को नियंत्रण भी किया जा सकेगा।

jktLo ,oa Hkwfe lq/kkj foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 835-41 djksM+ #i;s ¼vkB lkS iSrhl djksM+ ,drkyhl yk[k #Ik;½ vkofVr djus dk iLrko djrk gw¡ ftlesa ;kstuk en esa 126-35 djksM+ #i;s ¼,d lkS NCchl djksM+ iSrhl yk[k #Ik;½ ,oa xSj ;kstuk en esa 709-06 djksM+ #i;s ¼lkRk lkS ukS djksM+ N% yk[k #Ik;½ 'kkfey gSA

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार पंचायत चुनाव 2016 के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से नए नगर पंचायतों का गठन, नगर पंचायत से नगर परिषद तथा नगर परिषद से नगर निगम में पुनर्गठन किया जाएगा ताकि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन कर सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था की जा रही है।

सरकार के सात निश्चयों के अंतर्गत राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है।

भविष्य में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर Direct Supply की योजना प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता के अनुरुप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा बिहार राज्य जल पर्षद् का ढाँचा क्षेत्रस्तर तक विस्तारित किया जा रहा है।

हर घर में शौचालय की सुविधा निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराने हेतु ठोस कार्य योजना बनायी जा रही है।

गंगा नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख शहर–मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय तथा बिहारशरीफ में सिवरेज का निर्माण किया जायगा । गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन के लिए विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाएगी। पटना में Waste to Energy प्रोजेक्ट कार्यान्वयन का सघन अनुश्रवण किया जा रहा है। छोटे शहरों में भी Waste to Compost पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने–जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जा रहा है।

नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार की जा रही है। शहरी क्षेत्रों के आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एवं बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किये जा रहे है। इसके लिए आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक फ्लैट बनाने की योजना प्रस्तावित है।

*^^eq[;ea=h vkn'kZ uxj fudk; iqjLdkj ;kstuk^^* शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाएगा। पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाएगा।

uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 3]409-36 djksM+ #i;s ¼rhu gtkj pkj lkS ukS djksM+ NÙkhl yk[k #Ik;½ vkofVr djus dk iLrko djrk gS] ftlesa ;kstuk en esa 2]001-09 djksM+ #i;s ¼nks gtkj ,d djksM+ ukS yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 1]408-27 djksM+ #i;s ¼,d gtkj pkj lkS vkB djksM+ lÙkkbZl yk[k #Ik;½ 'kkfey gSA

समाज कल्याण विभाग

बच्चों और महिलाओं की बहुआयामी तथा परस्पर संबंधित जरुरतों को पूरा करने के लिए राज्य के सभी प्रखण्डों में समेकित बाल विकास योजना संचालित है।

पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91,677 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती/शिशुवती बालिकाओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने का लक्ष्य है।

12 जिलों में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए ''सबला'' कार्यक्रम अंतर्गत 19.09 लाख किशोरी बालिकाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन योजनान्तर्गत 93,000 लाभुकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3–6 वर्ष आयु के 40 बच्चों को 250 रुपये वार्षिक लागत की दर से कुल 35.58 लाख बच्चों को पोषाक हेतु 48.37 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम को सुदृढ़ किया जायेगा।

मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत बी०पी०एल० परिवार तथा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000 रुपये वार्षिक तक हो, की कन्या को विवाह के समय 5,000 रुपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों में जन्म लेने वाली कन्याओं के लिए 2,000 रुपये प्रति कन्या एकमुश्त अनुदान के रुप में राशि का निवेश आई०डी०बी०आई० एवं यूको बैंक में किया जाता है। इस योजना का लाभ एक परिवार में जन्म लेनेवाले मात्र दो कन्याओं तक सीमित है।

किशोर न्याय, बालकों के देखरेख एवं संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय बाल संरक्षण एकक तथा सभी जिलों में बाल संरक्षण एककों का गठन किया गया है।

बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित है।

परवरिश योजनान्तर्गत आर्थिक रुप से विपन्न बी०पी०एल० परिवार जिनकी वार्षिक आय रु0 60,000 रुपये से कम हो, के अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे, जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे है तथा एच०आई०वी०/एड्स/ कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा एच०आई०वी०/एड्स/कुष्ठ रोग पीड़ित माता/पिता अथवा कुष्ठ रोग के कारण 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा शारीरिक विकलांग माता/पिता की संतानो के पालन पोषण तथा गैर संस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित किया जायेगा।

पटना एवं मुजफ्फरपुर जिले में एक–एक उत्तर रक्षा गृह संचालित है। उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना की विस्तारित इकाई नाजरथ अस्पताल सोसायटी, मोकामा का शुभारंभ किया गया है।

किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु पटना में एक विशेष गृह तथा दरभंगा, छपरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णियॉ, मोतिहारी, अररिया, पटना एवं मुंगेर जिलों में एक–एक पर्यवेक्षण गृह तथा एक बालिका गृह (निशांत) पटना में संचालित किया जा रहा है।

अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को अब 50 हजार रुपये की जगह 1 लाख रुपये बैंक फिक्स्ड डिपोजिट के माध्यम से भुगतान किया जायगा।

सामाजिक सुरक्षा की कुल छः पेंशन योजनाऐं– इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई (विधवा) पेंशन योजना, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना एवं बिहार निःशक्तता पेंशन योजना संचालित हैं। इन सभी सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजनाओं में 75 लाख पेंशनधारियों को पेंशन दिये जाने का लक्ष्य है।

मृत्योपरांत देय अनुदान की कुल तीन योजनाएँ– राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कबीर अन्त्येष्टि योजना एवं मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना क्रियान्वित की जा रही हैं।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) कार्यान्वित की जा रही है। अब तक प्रमाणीकृत कुल 10.29 लाख विकलांग व्यक्तियों में से 6.88 लाख विकलांग व्यक्तियों को निःशक्तता पेंशन से आच्छादित किया जा चुका है तथा शेष को भी आच्छादित करने की योजना है ।

कुष्ठ रोगियों के जीविकोपार्जन एवं उन्हें भिक्षावृति से दूर रखने हेतु बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जायगा। इससे 13,000 कुष्ठरोगी लाभान्वित होंगे। सरकार द्वारा 3 नेत्रहीन एवं 5 मूक बधिर विद्यालयों का संचालन पटना में किया जा रहा है। पाँच मूक बधिर विद्यालय के संचालन पर 263 लाख रु0 तथा नेत्रहीन विद्यालय के संचालन पर 204 लाख रुपये का व्यय किया जा रहा है।

विकलांग व्यक्तियों को सभी सरकारी नियोजन में 3% आरक्षण के साथ–साथ आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट प्रदान की गयी है। शैक्षणिक संस्थानों में भी इनके लिए 3% सीट आरक्षित है।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत 'स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर' का गठन किया गया है। वृद्धों के पुनर्वास के लिए 'ओल्ड एज होम' का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से राज्य के पाँच जिलों–पटना, गया, भागलपुर, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। सरकार द्वारा भी पटना, गया, एवं पूर्णियॉ जिला में वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है।

'बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना' अंतर्गत एड्स पीड़ितों को 1500 रु0 प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है ।

वस्त्र वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों एवं निःसहायों को धोती, कम्बल, चादर, साड़ी आदि का वितरण किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में इसपर 100 लाख रु0 का व्यय किया जा रहा है।

lekt dY;k.k foHkkx dk o"kZ 2016&17 e 5]017-10 djkM #i;s ¼ikp gtkj lrjg djkM nl yk[k #Ik;s½ vkofVr dju dk iLrko djrk gS] ftle ;kstuk en e 4]960-93 djkM #i;s ¼pkj gtkj uk lk lkB djkM frjkuo yk[k #Ik;s½ ,o xSj ;kstuk en e 56-17 djkM #i;s ¼NIiu djkM lrjg yk[k #Ik;s½ 'kkfey gA

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न विद्यालय छात्रवृति मदों में रु0 704.17 करोड़ एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मदों में 189.95 करोड़ रुपये स्वीकृत कर जिलों एवं मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है। सामाजिक उत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय छात्रवृति का वितरण किया गया। वर्ष 2015–16 में 55 लाख से अधिक छात्र/छात्राओ को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना के तहत् कुल 144691 छात्र/छात्राओं को आच्छादित करने हेतु 150.20 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

अनु0 जाति और अनु0 जनजाति अत्याचार निवारण हेतु माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में भी समिति गठित है। अनु०जाति एवं अनु० जनजाति के अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2015–16 में अब तक 16.70 करोड़ रुपये की राशि जिलों को आवंटित किया गया है, जिससे अब तक 2,097 पीड़ित व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। मृतक के आश्रितों को रु0 4,500/–प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जा रहा है। अब तक 248 लोगों को पेंशन दिया गया है।

बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलितों के विकास एवं आर्थिक उन्नयन की योजनाओं के लिए 220.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है। विकास मित्रों के कुल 9,875 स्वीकृत पद के विरुद्ध 9,530 का चयन कर लिया गया है। दशरथ माँझी कौशल विकास योजना के अन्तर्गत महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अनु0जाति के सदस्यों के लिए अनु0 जाति उप योजना के तहत प्रशिक्षण का संचालन मिशन के द्वारा किया जा रहा है। अब तक 83,792 महादलित समुदाय के व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण एवं 15 हजार व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में नियोजित किया गया है। विकास मित्रों का मानदेय रु0 7,000/–प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 10,000/– प्रतिमाह किया गया है। उनके आकस्मिक मृत्यु के मामले में उनके आश्रित को रु0 4 लाख अनुदान की स्वीकृति तथा विकास मित्रों से 60 वर्ष की आयु तक कार्य लेने की स्वीकृति दी गयी है।

vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tutkfr dY;k.k foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 1]628-64 djksM+ #i;s ¼,d gtkj N% lkS vBkbl djksM+ pkSlB yk[k #Ik;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gS] ftlesa ;kstuk en esa 1]413-05 djksM+ #i;s ¼,d gtkj pkj lkS rsjg djksM+ ikap yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 215-59 djksM+ #i;s ¼nks lkS iUnzg djksM+ mulB yk[k #Ik;s½ 'kkfey gSA

<u>पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग</u>

वित्तीय वर्ष 2016–17 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के एक करोड़ दस लाख छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु गैर योजना मद में रु0 25.00 लाख मात्र का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे 21,000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर पर रु0 10,000/– एकमुश्त वृत्तिका भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना में कुल 70,000 छात्र/छात्राओं को मेधावृत्ति की राशि का भुगतान लक्षित है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रु0 1,50,000/–या कम हो, को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर पर रु0 10,000/–एकमुश्त वृत्तिका भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना में पिछड़ा वर्ग के कुल 50,000 छात्रों को मेधावृत्ति की राशि का भुगतान लक्षित है।

foÙkh; o"kl 2016&17 e tuuk;d di¦jh Bkdj vR;r fiNMk oxl dY;k.k Nk=kokl d vo'k"k dk;kl d fuekl.k dk;l i.kl dj yh tk;xhA fiNMk oxl ,o vfrfiNMk oxl dY;k.k foHkkx dk o"kl 2016&17 e 1]975-54 djkM #i;s ¼,d gtkj uk lk ipgÙkj djkM pkou yk[k #i;½ vkofVr djus dk iLrko djrk g] ftle ;ktuk en e 1]962-03 djkM #i;s ¼,d gtkj uk lk cklB djkM rhu yk[k #i;½ ,o xj ;ktuk en e 13-51 djkM #i;s ¼rjg djkM bdkou yk[k #Ik;½ 'kkfey gA

<u>अल्पसंख्यक कल्याण विभाग</u>

राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्पित है। सच्चर कमिटी की सिफारिशों के आलोक में हमारी सरकार द्वारा राज्य के अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा दस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अभी तक कुल 1.38 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। द्वितीय श्रेणी से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण मुस्लिम छात्र/छात्राओं को भी रु0 8,000 तथा 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को क्रमशः रु0 15,000 एवं रु0 10,000 एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। अभी तक 1.39 लाख अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।

मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजनान्तर्गत राज्य के मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रति वर्ष एकमुश्त रु0 10,000 की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना से अभी तक 14,607 मुस्लिम परित्यक्ता महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं।

अल्पसंख्यक छात्रावास योजनान्तर्गत अब तक 33 छात्रावास निर्मित किये गए हैं, जिसमें से 24 छात्रावास कार्यरत है।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने, उद्यमीय तकनीकी कौशल स्तर में सुधार के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है।

सुशासन कार्यक्रम के तहत 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना'' वर्ष 2012–13 से संचालित है। योजनान्तर्गत बेरोजगार युवकों को 5 प्रतिशत साधारण ब्याज पर अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक का ऋण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है। दिसम्बर, 2015 तक 6,129 अल्पसंख्यक लाभुकों को स्वरोजगार हेतु 62.06 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कम ब्याज पर दिसम्बर, 2015 तक 1,109 अल्पसंख्यक लाभुकों को 15.06 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनान्तर्गत CIPET के माध्यम से 361 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण एवं रेमण्ड कम्पनी के माध्यम से 216 युवक/युवतियों को सिलाई आदि में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के उपरान्त इन्हें अन्य राज्यों में प्लेसमेंट भी कराया गया है।

राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु बैंक, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी हेतु पटना और दरभंगा केन्द्रों पर 60–60 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को कोचिंग दी जा रही है। 76 अभ्यर्थियों को हज भवन में भी कोचिंग दी जा रही है।

सुशासन कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु स्वतंत्र निदेशालय का गठन किया गया है। हज यात्रियों की सुविधा के लिए गया में एक हज यात्री भवन के निर्माण की योजना है। जिला अल्पसंख्यक कार्यालय भवन एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। त्रि–सदस्यीय बिहार वक्फ न्यायाधिकरण राज्य में कार्यरत है।

राज्य में बिहार राज्य उर्दू अकादमी, बिहार राज्य हज समिति, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्य कराये जा रहे हैं। इन्हें प्रति वर्ष कुल मिलाकर 348.00 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। बिहार उर्दू अकादमी को भी 76.62 लाख रुपये अनुदान दिया गया है। उर्दू पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने हेतु 160.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखना, भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय एवं राहत देना, सरकार में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी, शिक्षा तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, मदरसा आधुनिकीकरण, उर्दू भाषा के विकास, कब्रिस्तानों की घेराबंदी तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने का कार्य संचालित किया जा रहा है।

राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य 7 (सात) जिलों में उन लोगों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। शैक्षणिक संस्थाऐं जैसे उच्च विद्यालय, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक, ए०एन०एम०/जी०एन०एम० नर्सिंग स्कूल, इंजिनियरिंग कॉलेज खोले जायेंगे ताकि शिक्षा के साथ–साथ रोजगार प्राप्त करने का भी अवसर मिले। इन जिलों में विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किया जायेगा।

vYil[;d dY;k.k foHkkx dk o"k 2016&17 e 294-00 djkM #i; ¼nk lk pkjkou djkM #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ftl e ;ktuk en e 273-80 djkM #i; ¼nk lk frgÙkj djkM vLlh yk[k #i;½ ,o xj ;ktuk en e 20-20 djkM #i; ¼ch l djkM ch l yk[k #Ik;½ 'kkfey gA

उद्योग विभाग

राज्य में अब तक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा 2,285 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है, जिसमे 2,88,875.71 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश तथा संभावित नियोजन 2,42,513 प्रस्तावित है। अभी तक इन इकाईयों द्वारा 7,873.28 करोड़ रुपये पूंजी का निवेश किया जा चुका हैं जिसमें 308 इकाईयों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है एवं 183 इकाईयों में कार्य प्रगति पर है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत 43 इकाईयों को स्टाम्प डयूटी/निबंधन शुल्क में छूट दी गई है। इन इकाईयों को डी०जी० सेट/कैप्टिव पावर प्लांट/पूँजीगत अनुदान के रुप में 29.95 करोड रुपये दिए गए है। इस नीति के तहत् वैट की प्रतिपूर्ति हेतु 250.18 करोड़ रुपया वाणिज्य–कर विभाग को उपलब्ध करा दिए गए है। ए०एम०जी० एवं एम०एम०जी० अंतर्गत छूट प्रदान करने हेतु 134.86 करोड़ रुपये पावर होल्डिंग कंपनी को उपलब्ध करा दिए गए है। राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति के निर्णय के आलोक में सृजित चक्रीय निधि अन्तर्गत इनसैट इण्डस्ट्रीज लि0, पटना को 1.67 करोड़ रुपये सॉफ्ट लोन के रुप में तथा 37.00 लाख रुपये ब्रिज लोन के रुप में उपलब्ध कराया गया है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के तहत भूमि बैंक निधि से नालन्दा जिला में जन उपयोगी कार्यो हेतु भू–अर्जन औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा एवं मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा, चौसा (बक्सर), कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैंती (भागलपुर) में तापगृह के निर्माण के लिए एवं सुपौल जिले में 100 एकड़ भू–अर्जन के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में पी०एम०ए० द्वारा अब तक कुल 401 इकाईयाँ स्वीकृत की गयी है, जिसमें कुल लागत 4,643.51 करोड़ रुपये संन्निहित है एवं संभावित नियोजन 48,319 है। इनमें 258 इकाईयों को 917.30 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध 414.22 करोड़ रुपये अनुदान विमुक्त है। स्वीकृत योजनाओं में से अब तक 247 इकाईयाँ कार्यरत हैं एवं 158 इकाईयों का कार्य प्रगति पर है।

इस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज हेतु 143.26 करोड़ रुपये की राशि निवेश की गयी है। राईस मिल हेतु 113.07 करोड़ रुपए एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु 295.22 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया गया है।

मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनांतर्गत नया लूम क्रय करने/कर्मशाला निर्माण/कार्पस फंड (मार्जिन मनी) हेतु भागलपुर, बांका, नालन्दा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, मधुबनी, सीवान एवं पटना जिले के 6,271 हस्तकरघा बुनकरों को 3.76 लाख रुपये अनुदान प्रदान किया गया है। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5.60 लाख कार्ड वितरित किए गए। विद्युत करघा बुनकरों को अनुदान देने हेतु 220.00 लाख रुपये की राशि ऊर्जा विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। हस्तकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ दो ब्लॉक स्तरीय नये कलस्टर का प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

बुनकर ऋण माफी योजनान्तर्गत ऋण माफी के लिए 11.72 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। पावर लूम ऋण माफी बुनकरों की अधिसीमा 5.00 लाख रुपये है जबकि हस्तकरघा बुनकरों के लिए कोई सीमा नहीं है।

मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना के अन्तर्गत तसर खाद्य पौधों का वृक्षारोपण, रख–रखाव एवं सात कॉमन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना हेतु कुल 1,717.22 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। अब तक 6,120 हेक्टेयर वनभूमि/रेशम फॉर्म में तसर वृक्षारोपण कराया गया। अब तक कुल 2,270 हेक्टेयर तसर वृक्षारोपण निजी भूमि में भी कराया गया है।

मुख्यमंत्री कोशी मलवरी विकास परियोजनान्तर्गत कुल 654.62 लाख रुपये लागत व्यय पर 164 एकड़ निजी भू–खण्ड में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों को 1,068 इकाईयों के बीच 3,624.73 लाख रुपये ऋण स्वीकृत किया गया है। 395 इकाईयों के बीच 865.67 लाख रुपये मार्जिन मनी–अनुदान के रुप में वितरित की गई है।

कौशल विकास मिशन कार्यक्रम अंतर्गत 6,000 व्यक्ति प्रशिक्षणरत हैं। 3,732 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही 1,425 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये गये है। जूट प्रक्षेत्र–सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क, पूर्णियाँ द्वारा जूट सेक्टर में 1 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णिया में संचालित की जा रही है।

राज्य में छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, जहाँ एक वर्षीय एवं छः माह का बुनाई एवं डिजाईन में 204 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते है। इन्हें प्रति माह 800 रु० छात्रवृति दी जाती है।

सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2015, नालन्दा में राजगीर महोत्सव 2015, सहरसा में उग्रतारा महोत्सव 2015, आदि स्थानों पर वार्षिक मेला का आयोजन किया गया है।

बिहार इन्डस्ट्रीज एशोसियेशन एवं बिहार इन्टरप्रेनियोर एसोसिएशन के साथ अन्तरिम रुप से दो इन्क्युवेशन सेंटर की स्वीकृति दी गयी है, जिसके लिए सहायता राशि क्रमशः 1.53 करोड़ रुपये एवं 1.42 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है। बी०ई०ए० द्वारा पूरे राज्य में 50 स्थानों पर स्टार्ट–अप यात्रा की शुरुआत की गयी है। बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन (बी०आई०ए०) द्वारा नये उद्यमियों को प्रोजेक्ट/आईडिया प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016, स्टार्ट–अप पॉलिसी, हस्तशिल्प नीति, हस्तकरघा नीति, खादी प्रक्षेत्र का विकास, इज ऑफ डूईंग बिजनेस संबंधित कार्यक्रम संचालित किये जाने तथा सिंगल विंडो ब्यूरो का गठन भी प्रस्तावित है।

भागलपुर जिला में टैक्सटाईल पार्क बनाने की योजना है। इस योजना के तहत बुनकरों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

अनिवासी बिहारियों द्वारा बिहार राज्य में उद्योगों/सेवाओं से जुड़े व्यवसाय में निवेश किया जाय, इसके लिए बिहार फाउन्डेशन को और सुदृढ़ किया जायेगा ताकि अनिवासी बिहारी एवं राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।

m|kx foHkkx dk o"k 2016&17 e 788-78 djkM #i; ¼lkr lk vBklh djkM vBgÙkj yk[k #Ik;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ftle ;ktuk en e 715-88 djkM #i; ¼lkr lk inng djkM vBklh yk[k #Ik;½ ,o xj ;ktuk en e 72-90 djkM #i; ¼cgÙkj djkM uCc yk[k #i;½ 'kkfey gA

सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग

वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत योजनाओं में SWAN परियोजनान्तर्गत भारत संचार निगम लि०, पटना के द्वारा संचालित Circuit का परिचालन एवं कुल 140 Uncovered PoP Project को लागू किये जाने हेतु पच्चीस करोड़ सत्रह लाख रुपये मात्र तथा दस करोड़ चौंसठ लाख रुपये की राशि स्टेट नोडल एजेन्सी बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करायी गयी है।

सूचना प्रावैधिकी के प्रचार–प्रसार हेतु e-Bihar Summit का आयोजन किया गया। साथ–ही–साथ Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) के सहयोग से गया में आई०टी० आधारित प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। C-DAC के द्वारा ही राज्य के SC/ST & OBC के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ–ही–साथ C-DAC, Pune का क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले जाने की अनुशंसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है।

नालन्दा विश्वविद्यालय के निकट, राजगीर में 200 एकड़ स्थल पर आई०टी० परिसर के निर्माण हेतु आवंटित भूमि के अधिग्रहण हेतु भवन निर्माण विभाग को 43.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत Electronics System Design & Manufacturing (ESDM) की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से Matching Grant के रुप में कुल 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

आई०टी० में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु बिस्कोमान टॉवर के 9वीं एवं 13वीं मंजिल पर Starts-up हेतु स्थल उपलब्ध कराया गया है तथा इसके आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है। साथ–ही–साथ कुल 31 Starts-up का चयन भी किया जा चुका है, जो राज्य के आई०टी० के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगें।

Bihar State Wide Area Network (BSWAN) प्रशासनिक Broadband Highway का संचालन केन्द्र सरकार के सहयोग से अभी अवधि विस्तार कर चलाया जा रहा है। इस योजना को भविष्य के लिये भी चालू रखने के लिए 2015–16 में BSWAN 2.0 की 313.39 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में वर्ष 2016 से पेपरलेस ऑफिस की परिकल्पना अंतर्गत ई–ऑफिस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य के सभी विभागों में ई.–गवर्नेंस का उपयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में ई.–गवर्नेंस की कुल 19 योजनायें संचालित की जायेंगी।

l puk ,o iko/f| dh foHkkx dk o"k 2016&17 e 272-56 djkM #i; ¼nk lk cgÙkj djkM NIiu yk[k #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ft le ;ktuk en e 269-58 djkM #i; ¼nk lk mUgÙkj djkM vUBkou yk[k #i;½ ,o xj ;ktuk en e 2-98 djkM #i; ¼nk djkM vUBkou yk[k #i;½ 'kkfey gA

श्रम संसाधन विभाग

बाल श्रम उन्मूलन हेतु गठित धावा दल द्वारा माह अक्टूबर, 2015 तक कुल 6,550 निरीक्षण कर दोषी पाए गए 372 नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किया गया तथा 709 बाल श्रमिकों को विमुक्त कर उनके पुनर्वास संबंधी कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी प्रखण्डों एवं पंचायतो में कार्यबल गठन की कार्रवाई चल रही है। बाल श्रमिक पुनर्वास–सह–कल्याण कोष में 5,000 रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से कुल 466 बाल श्रमिकों के लिए 23.30 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनान्तर्गत संचालित 292 विद्यालयों में 14,574 बाल श्रमिक नामांकित हैं।

अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को देय प्रयत्नशील महंगाई भत्ता अधिसूचित किया गया है। सामान्य प्रकृति के नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर 197 रुपये प्रतिदिन एवं कृषि नियोजन के लिए 189 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। 5,267 दावा पत्रों का निष्पादन कर 41.83 लाख रुपये का आर्थिक लाभ मजदूरों को दिलाया गया है। 175 दोषी नियोजकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया है।

श्रमिकों के क्षमता निर्माण हेतु ''श्रमिक चेतना केन्द्र'' संचालित है तथा श्रमिकों को ''श्रमिक चेतना सैनिक'' के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

बीड़ी मजदूरों के गृह निर्माण हेतु 1,000 बीड़ी श्रमिकों के लिए 4,000 रुपये प्रति मकान की दर से 40.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

श्रम विभाग के पदाधिकारियों एवं अन्य भागीदारों के क्षमता निर्माण, श्रम एवं नियोजन के मुद्दों पर अध्ययन शोध एवं मूल्यांकन हेतु दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान का निर्माण पटना सदर अंचलान्तर्गत मौजा–समनपुरा में 2.00 करोड़ रुपये की लागत पर किया जा रहा है।

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर अनुदान योजनान्तर्गत एक लाख रुपये प्रति मृतक प्रवासी मजदूर की दर से कुल 77 मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को राशि दी गयी है। ''विदेश'' में कार्यरत श्रमिकों को भी इसके दायरे में लाया गया है।

बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के तहत 817 बंधुआ मजदूरों को लाभान्वित किया गया है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ अब तक कुल 6.82 लाख निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत निर्माण कामगारों को भवन निर्माण/मरम्मति, औजार एवं साईकिल क्रय हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2015 तक 5,481 पंजीकृत निर्माण कामगारों के बीच प्रति कामगार रू० 15,000 की दर से कुल 6,978.30 लाख रुपये व्यय किया गया है । इन्हें पन्द्रह हजार रुपये की दर से अब तक कुल 11.25 लाख रुपये मृत्युहितलाभ भी दिया गया है। उनके आश्रितों को एक हजार रुपये की दर से अब तक इकसठ हजार रुपये दाह–संस्कार हेतु आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया है। चिकित्सा सहायता के रूप में 10,000 रुपये प्रति श्रमिक की दर से आर्थिक सहायता प्रदान किया गया है।

निर्माण श्रमिकों के शेड निर्माण हेतु 38 जिलों में 3.88 लाख रुपये की दर से कुल 147.44 लाख रुपये विमुक्त किये गये हैं।

जिलों/प्रमण्डलों एवं विश्वविद्यालयों में नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित नियोजन मेला में अब तक निजी कम्पनियों द्वारा मेला स्थल पर 82,262 युवक/युवतियों को नियुक्ति हेतु चयनित किया गया है।

पटना एवं मुजफ्फरपुर नियोजनालयों में 67 लाख रुपये की लागत पर कुल 02 (दो) मॉडल कैरियर सेन्टर के निर्माण का अनुमोदन केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ है।

3,840 लाख रुपये के उद्व्यय पर राज्य सरकार छः योजनाओं–नियोजन सेवा का विस्तार, नियोजन सेवा हेतु ई०प्रोसेस, नियोजन–सह–व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम, सीमा पार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो, निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता एवं संयुक्त श्रम भवन का निर्माण कार्य को कार्यान्वित कर रही है।

3 लाख रुपये के व्यय पर चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण हेतु मशीनें एवं उपस्कर का क्रय तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चिकित्सालयों द्वारा किया जा रहा है।

राज्य के सभी 38 जिलों में एक–एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। सभी प्रमण्डलों में एक–एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है। सभी अनुमण्डलों में एक–एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा सभी जिला मुख्यालय में एक–एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की योजना है। 129 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 459 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, कटिहार, दरभंगा, गया, सीतामढ़ी एवं फारबिसगंज का चयन कर सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। 13 अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन भी किया जा रहा है।

71 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 22 संस्थानों के भवनों का जीर्णोद्धार किया जाना है। नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, हॉस्टल, चहारदिवारी इत्यादि का निर्माण किया जाना है।

16 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये–नये व्यवसाय स्थापित करने का लक्ष्य है। जिन अनुमण्डलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, वहाँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। वैसे जिले जहाँ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, वहाँ कम से कम एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन, प्रशिक्षण, परीक्षा, इत्यादि कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु बेलट्रॉन के माध्यम से एक–एक कम्प्यूटर लैब स्थापित किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण हेतु मशीनों का क्रय किया जायेगा।

निर्माण श्रमिकों के दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण तथा उनके बच्चों को शिक्षा सहायता योजना लागू करने, बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी प्रखण्डों एवं पंचायतों में कार्यबल गठित करने, ईंट भट्ठों में कार्यरत श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी से दूर करने के उदेश्य से अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ संयुक्त कार्यक्रम का संचालन एवं प्रखण्ड स्तर पर श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव है।

बीड़ी श्रमिकों को गृह निर्माण के लिए प्रति लाभुक 98,000 रुपये दिया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न लाईसेंस/निबंधन की Online प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

सभी जिलों में पंजीकरण एवम् आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर 1.5 करोड़ युवाओं को भाषा एवम् सेवाएं कौशल बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवम् अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराये जाने की योजना प्रस्तावित है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को और अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाना प्रस्तावित है।

बिहार कौशल विकास मिशन के तहत् प्रत्येक वर्ष 5.50 लाख युवाओं का रोजगारपरक कौशल उन्नयन का लक्ष्य है।

बिहार राज्य से श्रमिकों का मौसमी प्रवास (Seasonal Migration) भी होता है। वैसे श्रमिकों का पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2016–17 में आरंभ किया जायेगा तथा उन श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

Je lalk/ku foHkkx dk o"k 2016&17 e 781-95 djkM #i; ¼lkr lk bD;klh djkM iUpkuo yk[k #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ftle ;ktuk en e 636-98 djkM #i; ¼N% lk NÙkhl djkM vUBkou yk[k :i;½ ,o xj ;ktuk en e 144-97 djkM #i; ¼,d lk pkokyhl djkM lUrkuo yk[k #i;½ 'kkfey gA

गृह विभाग

दरभंगा जिलान्तर्गत सोनकी, खगड़िया जिलान्तर्गत मानसी थाना, लखीसराय जिलान्तर्गत कजरा थाना एवं कटिहार जिलान्तर्गत सोधानी ओ०पी० के निर्माण हेतु भू–अर्जन किया जा रहा हैं। थाना भवन, आवासीय भवन एवं आउट पोस्ट के निर्माण हेतु भू–अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

बोधगया एवं राजगीर में Tourist Oriented थाना भवन का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में भी थाना भवन, आउट पोस्ट, आवासीय भवन हेतु राशि कर्णांकित की गयी है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय से संबंधित महिला पुलिस कर्मियों के लिए प्रत्येक जिला में बैरक, राज्य के सभी थानों में शौचालय आदि के निर्माण हेतु 6,148.31 लाख रुपये कर्णांकित किये गये हैं।

पुलिस कर्मियों के लिए 1,531 Android Based Smart Phone, 1,428 मोटर साईकिल, आतंकवाद निरोधक दस्ता एवं बिहार पुलिस रेडियो संगठन के लिए मशीनरी एवं उपकरण आदि के क्रय की स्वीकृति दी गयी है। जवाहर लाल नेहरू मार्ग में नया पुलिस मुख्यालय भवन 90 करोड़ रुपये की लागत पर निर्माणाधीन है।

जिलास्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय निर्माणाधीन अग्निशामक भवनों एवं राज्य के सभी 881 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी आधारित छोटे वाहनों के क्रय एवं फैब्रिकेशन कार्य किया जायेगा।

अब तक राज्य के कुल 8,064 कब्रिस्तानों में 4,853 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी की गई है। 1,365 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य प्रगति पर है। बचे हुए कब्रिस्तानों की घेराबन्दी वित्तीय वर्ष 2016–17 में की जायेगी।

गृह रक्षा वाहिनी के लिए कार्यालय, प्रषिक्षण केन्द्र, बैरक का निर्माण किया जायेगा।

विभिन्न काराओं के भवन, उप काराओं के लिए भू–अर्जन, मुलाकाती भवन, 13 काराओं में कैन्टीन, रसोई घर आदि का निर्माण किया जायेगा। राज्य की काराओं में बंदियों हेतु टेलीफोन बूथ एवं कलर टी०वी० सेटटॉप बॉक्स की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

देश में पहली बार आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना में Prison ERP System का अधिष्ठापन किया गया। राज्य की 55 काराओं में भी 4.87 करोड़ रुपये की लागत पर काराओं को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने हेतु Prison ERP System विकसित किया गया है।

58 काराओं में सुरक्षात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का अधिष्ठापन तथा काराओं एवं न्यायालयों के बीच बंदियों के उपस्थापन हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिग प्रणाली का अधिष्ठापन क्रमशः 25.45 करोड़ रुपये एवं 9.98 करोड़ रुपये की लागत पर बेल्ट्रॉन द्वारा की जा रही है।

बंदियों द्वारा पीड़ित विपक्षी परिवार के सदस्यों के सहायतार्थ गठित ^^vijk/k ihfM+r dY;k.k U;kl^^ के खाता में 5.76 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है, जिससे 83 पीड़ित परिवारों के 150 सदस्यों को कुल 12.91 लाख रुपये की राशि का चेक संबंधित जिला अपराध पीड़ित कल्याण समिति को भेजी गई है।

राज्य की 26 काराओं में बंदियों की सुविधा के लिए कैंटीन का निर्माण प्रक्रियाधीन है। प्रथम फेज में 2.39 करोड़ रुपये की लागत पर 13 कैंटीन एवं द्वितीय फेज में 2.08 करोड़ रुपये की लागत पर राज्य की 13 कैंटीन का निर्माण बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा कराया जाना है।

काराओं के कर्मियों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु 43.50 करोड़ रुपये की लागत पर बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान (Bihar Institute of Correctional Administration (BICA)), हाजीपुर का निर्माण जून, 2016 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

उपकारा, बक्सर को महिला मंडल कारा में उत्क्रमित किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 1.54 करोड़ रुपये है।

x'g foHkkx dk o"k 2016&17 es 7]297-36 djkM #i;s ¼lkr gtkj nks lks lUrkuos djkM NÙkhl yk[k #i;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gw] ftlesa ;kstuk en es 412-91 djkM #i;s ¼pkj lks ckjg djkM bD;kuos yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en es 6]884-46 djkM #i;s ¼N% gtkj vkB lks pkSjklh djkM fN;kyhl yk[k #i;s½ 'kkfey gSA

विधि विभाग

उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में कुल 151 राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का, कोर्ट मैनेजर के दो पदों, 35 व्यवहार न्यायमंडलों के लिए कोर्ट मैनेजर के 35 पदों एवं न्यायमंडलों के लिए अबतक वर्ग–3 एवं 4 के कुल 906 पदों का सृजन किया गया है। दो नवगठित व्यवहार न्यायालयों के लिए कोर्ट मैनेजर के दो पदों का सृजन विचाराधीन है।

विभिन्न थाना काण्ड तथा निगरानी/आर्थिक अपराध थाना काण्ड से संबंधित 61 अभियुक्तों (राजपत्रित पदाधिकारी) के विरूद्ध तथा विभिन्न थाना काण्डों के तहत कुल 621 अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

कहलगाँव अनुमंडल (बाँका) में अनुमंडलीय न्यायालय एवं किशनगंज में न्यायमंडल एवं परिवार न्यायालय की स्थापना की गयी है।

116.00 करोड़ रुपये की लागत से पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण का निर्माण कार्य प्रगति में है।

विभिन्न जिलों में कुल 52 कोर्ट भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 53 कोर्ट भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सीवान, मुंगेर एवं बक्सर में ए०डी०आर० केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 38 कोर्ट भवन का निर्माण कार्य प्रगति में है। राज्य के कुल 10 व्यवहार न्यायालयों में भी 103 कोर्ट भवन तथा 90 पी०ओ० आवास के निर्माण का प्रस्ताव है।

व्यवहार न्यायालय पटना में जी+7 संयुक्त भवन, दानापुर, मंझौल (बेगूसराय), बेगूसराय एवं सीवान में कुल 80 कोर्ट भवन तथा मुंगेर में परिवार न्यायालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

मंझौल (बेगूसराय), बांका एवं लखीसराय में कुल 30 पी०ओ० आवास का निर्माण कार्य प्रगति में है। शेखपुरा, सीवान, बिहारशरीफ, शिवहर एवं उदाकिशुनगंज में कुल 60 पी०ओ० आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास जहानाबाद, शिवहर एवं प्रधान न्यायाधीश आवास, मुंगेर, मधेपुरा, औरंगाबाद का निर्माण कार्य तथा शिवहर में 16 इकाई न्यायिक आवासीय भवन 'ए' टाईप एवं 08 इकाई न्यायिक आवासीय भवन 'बी' टाईप निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा एवं आरा न्यायमंडल में ए०डी०आर० केन्द्र निर्माणाधीन है। पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया न्यायमंडल में ए०डी०आर० केन्द्र एवं बेतिया ए.डी.आर.–सह–परिवार न्यायालय का निर्माण प्रस्तावित है।

बेतिया में 180 कैदी हाजत, बगहा में 180 कैदी हाजत एवं एमीनीटी भवन, अरवल में परिवार न्यायालय–सह–ए०डी०आर० एवं हाजत, औरंगाबाद में परिवार न्यायालय–सह– मेडियेशन केन्द्र तथा अरवल में ए० बी० एवं सी० टाईप आवास का निर्माण प्रस्तावित है।

बिहार न्यायिक अकादमी गायघाट में न्यायिक पदाधिकारियों एवं सिविल कोर्ट के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल 662.06 करोड़ रुपये की योजना न्यायिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित है। भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

fof/k foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 819-55 djksM+ #i;s ¼vkB lkS mUuhl djksM+ ipiu yk[k #i;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gS] ftlesa ;kstuk en esa 3 djksM+ #i;s ¼rhu djksM+ #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 816-55 djksM+ #i;s ¼vkB lkS lksyg djksM+ ipiu yk[k #i;s½ 'kkfey gSA

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 फरवरी 2014 को राज्य में लागू किया गया है। खाद्य सुरक्षा लागू करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी राज्य है। ग्रामीण क्षेत्र के 85.12 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत कुल 871.16 लाख जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य है। अभी तक अन्त्योदय परिवारों के 1.17 करोड़ लाभुकों तथा 1.29 करोड़ पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियो के 7.40 करोड़ लाभुकों को आच्छादित किया गया है। अन्त्योदय परिवारों को गेहूँ 2 रू प्रति किलो तथा चावल 3 रू प्रति किलो की दर पर 35 किलो खाद्यान्न (14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल) एवं PHH लाभार्थी को 5 किलोग्राम (2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल) प्रति व्यक्ति अनाज दिया जा रहा है।

राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शत प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पात्र परिवारों को आच्छादित करने का निर्णय लिया है। 45 वर्ष की उम्र तक की सभी विधवा महिलाओं को तथा असहाय व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।

राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013, डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम एवं विकेन्द्रीकृत धान/गेहूँ अधिप्राप्ति व्यवस्था लागू है। कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य की भंडारण क्षमता को 2,022 तक बढ़ाकर 20 लाख मे0 टन करने का लक्ष्य है।

2015–16 में 1,101.76 करोड़ की लागत से कुल 974 गोदामों (भंडारण क्षमता 12.64 लाख मे०टन) का निर्माण लक्ष्य के विरूद्ध कुल 796 गोदामों (6.945 लाख मे०टन) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। अभी राज्य खाद्य निगम की भंडारण क्षमता 14.53 लाख मे०टन की है।

PDS कम्प्यूटराईजेशन के तहत जन वितरण प्रणाली के लाभुकों तक खाद्यान्न की आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से FPs का आधुनिकीकरण किया जाना है। End to End Computerization एवं डोर–स्टेप डिलेवरी योजना भी कार्यान्वित की जाएगी।

कृषकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्यक्रम राज्य में संचालित किया जा रहा है। खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य–साधारण किस्म के लिए 1,410 रुपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड 'ए' के लिए 1,450 रुपये प्रति किवंटल की दर से अधिप्राप्ति की जा रही है। क्रय किये गये धान की मिलिंग की व्यवस्था राज्य के मिलरों से की गई है। अधिप्राप्ति एवं खाद्यान्न के वितरण को व्यवस्थित करने के लिए राज्य खाद्य निगम का सुदृढीकरण किया जाना है।

केन्द्र प्रायोजित अन्नपूर्णा योजना से 41,604 अनाश्रय वृद्ध लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजनान्तर्गत 20 प्रतिशत वैसे अनाश्रय वृद्धों जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नही हो रहा है, को प्रतिमाह 6 किलो गेहूँ तथा 4 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य खाद्य निगम का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा चीनी वितरण को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। राज्य खाद्य निगम की लेखा समीक्षा एवं अंकेक्षण कराया जाएगा। जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी तथा जीरो टोलरेन्स की नीति पर कार्यान्वित किया जाएगा।

[kk| ,o miHkkDrk lqj{k.k foHkkx dk o"k 2016&17 e 2]146-05 djkM #i;s ¼nk gtkj ,d lk fN;kyhl djkM ikp yk[k #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ftle ;k tuk en e 2]046-97 djkM #i;s ¼nk gtkj fN;kyhl djkM lUrkuo yk[k #i;½ ,o xqj ;k tuk en e 99-07 djkM #i;s ¼fuU;kuo djkM lkr yk[k :i;½ 'kkfey gA

पर्यटन विभाग

बिहार में पर्यटन स्थलों का विकास एवं पर्यटन को व्यापक बनाने के लिए पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार, पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने एवं बिहार पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। बिहार में पर्यटक क्षेत्र तथा पर्यटकों की तादाद बढ़ी है। पर्यटक सुविधाएँ विकसित हुई हैं।

वर्ष 2015–16 में जनवरी, 2016 तक 3,268.68 लाख रुपये की लागत से कुल 19 महत्वपूर्ण योजनाएँ कार्यान्वित की गयी, जिसके अंतर्गत मधेपुरा में विशुराउत मंदिर, सहरसा में कारूधाम मंदिर, मधुबनी में भैरव स्थान एवं चामुण्डा स्थान, दरभंगा में हराही पोखर मनोकामना मंदिर एवं कुशेश्वर स्थान, खानकाह मनेर शरीफ, पांडु पोखर राजगीर में पर्यटन सुविधाओं का विकास महत्वपूर्ण है। अजातशत्रु होटल राजगीर का उन्नयन, बक्सर में कान्फ्रेंस हॉल का निर्माण, दशरथ मांझी स्मारक, गया का विकास एवं सौंदर्यीकरण, वीरपुर सुपौल में होटल वीर बिहार का निर्माण, जानकी बिहार पुनौरा का निर्माण एवं पुनौराधाम में प्रवचन हॉल का निर्माण, पटना स्थित मंगल तालाब ऑडिटोरियम का जीर्णोद्धार, एवं आधुनिकीकरण, दंरभगा के गंगा सागर तालाब का जीर्णोद्धार, पटना सदर के फतेहपुर गांव में पुनपुन घाट का निर्माण एवं मुजफ्फरपुर जिला में पर्यटक स्थल कोल्हुआ के सम्पर्क सड़क एवं नाली का निर्माण किया गया है।

338 बेरोजगार युवकों को गाईड का प्रशिक्षण देकर प्रमाणपत्र दिया गया है। राजगीर महोत्सव, सोनपुर मेला का सफल आयोजन किया गया है। देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य में 3 मेला एवं 26 महोत्सवों का नियमित आयोजन किया जाता है। पटना सहित राज्य के पांच शहरों बक्सर, मुंगेर, सुल्तानगंज, तथा भागलपुर में गंगा आरती का आकर्षक एवं सफल आयोजन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में पर्यटन विकास की भारत सरकार से स्वीकृत एवं उन्हें स्वीकृति हेतु समर्पित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जायेगी। पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। पर्यटन रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाएगा।

गाँधी परिपथ के अन्तर्गत महात्मा गाँधी से जुड़े स्थलों से संबंधित निर्माणाधीन परियोजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन किया जाएगा। 2017 में चम्पारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाने हेतु तैयारी की जायेगी।

गुरू गोविन्द सिंह साहेब की 350वीं जयंती का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। इस अवसर के आलोक में पटना साहिब का विकास, कार्य सम्पन्न किया जायेगा।

बौद्ध परिपथ में चिन्हित स्थलों पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु परियोजनाओं का निर्माण एवं स्वीकृति तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

मंदार पर्वत(बाँका), रोहतासगढ़ किला (रोहतास), वाणावार पर्वत (जहानाबाद), डोंगेश्वरी पर्वत, प्रेतशिला पर्वत, ब्रहमयोनी पर्वत (गया), मुण्डेश्वरी पर्वत (कैमूर) पर पर्यटकों की सुविधा के लिए रज्जू पथ की स्थापना एवं निर्माण संबंधी स्वीकृत योजना के त्वरित कार्यान्वयन का लक्ष्य है।

राज्य के विभिन्न पथों पर विभिन्न भाषाओं में अतिरिक्त साईनेज की स्थापना, बिहार पर्यटन का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार, एवं विभिन्न मेला महोत्सवों का निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार आयोजन, राजगीर के घोड़ा कटोरा में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन, बाल्मिकीनगर टाईगर रिजर्व, बेतिया में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 4,212 लाख रुपये की योजना का क्रियान्वयन एवं राज्य के पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु ब्रान्ड एम्बेस्डर का चयन एवं घोषणा की जायेगी। पर्यटन स्थलों का ऑडियो, विडियो, सिनेमा स्लाईड शो, रेडियो जिंगल आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

ढाबा प्रोत्साहन नीति–2012 के अन्तर्गत चरणबद्ध ढंग से चयनित ढाबों में पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जायेगा। ढाबों को कैपिटल सब्सिडी के रूप में पांच लाख रुपये चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

गाँधी सर्किट ब्रोशर का निर्माण तथा सभी सर्किट का नये डिजाईन एवं पुनर्मुद्रण कार्य किया जायेगा।

बिहार पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए यथा IITTM हैदराबाद, TTF बैंगलुरू, ITM चंडीगढ़, IITTM कोलकाता एवं SATTE नई दिल्ली में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया है। बिहार को विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करना है, इसके लिए राज्य सरकार व्यापक कार्यक्रमों के साथ संकल्पित हैं।

i;ZVu foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 672-49 djksM+ #i;s ¼N% lkS cgÙkj djksM+ mUpkl yk[k #i;s½ vkoafVr djus dk izLrko djrk gS] ftlesa ;kstuk en esa 654-21 djksM+ #i;s ¼N% lkS pkSou djksM+ bDdhl yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 18-28 djksM+ #i;s ¼vBkjg djksM+ vBkbZl yk[k #i;s½ 'kkfey gSA

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

खेलों के माध्यम से युवाओं का सर्वांगीण विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।

मेजर ध्यानचन्द के जन्म दिवस 29 अगस्त 2015 को 250 राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है।

राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनार्थ राज्य के संघो को 82 लाख रुपये का अनुदान एवं उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। खिलाड़ियों के सहायतार्थ राज्य में स्थापित खिलाड़ी कल्याण कोष से खिलाड़ियों को उपकरण, चिकित्सा एवं डिप्लोमा इन स्पोर्टस कोचिंग कोर्स हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।

खेल उपकरणों का क्रय कर मांग के अनुसार संबंधित संघों/खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया जाता है। व्यायामशालाओं/जिम के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत राज्य के सभी 534 प्रखंडो में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की योजना है। अबतक 239 स्टेडियमों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है एवं 80 स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। राजगीर में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण की योजना है।

राज्य के सभी प्रमंडलीय शहरों में अन्तराष्ट्रीय स्तर का खेल–कूद सुविधाओं (Sports Facilities) के आधारभूत संरचना की व्यवस्था की जायेगी।

राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को प्रत्येक वर्ष बिहार कला पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

चाक्षुष एवं प्रदर्श कला से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रकाशन के कार्य किये जा रहे हैं।

जिला स्थापना दिवस, जिला युवा उत्सव, बिहार दिवस, विद्यापति महोत्सव एवं वाल्मिकी महोत्सव आदि के आयोजन हेतु शुक्रगुलजार, शनिबहार, विशेष शुक्रगुलजार, संगीत बिहार कार्यक्रम, श्रावणी मेला–2015 सुलतानगंज (भागलपुर) एवं अवरखा (बांका) में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये।

पूर्णिया के सुधांशु रंगशाला का जीर्णोद्धार तथा बक्सर में नये कला भवन का निर्माण प्रेमचंद रंगशाला, राजेन्द्रनगर, पटना में रिहर्सल शेड निर्माण एवं सिवरेज सिस्टम के जीर्णोद्धार हेतु राशि विमुक्त की गयी है।

बिहार संग्रहालय, बेली रोड, पटना के भवन निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। चिल्ड्रेन गैलरी, ऑरिएंटेशन गैलरी एवं ऑरिएंटेशन प्री–शो थिएटर दर्शकों के लिए खोल दिये गये है, संग्रहालय कार्य प्रगति पर है।

बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप के निर्माण हेतु वैशाली में 72.23 एकड़ भू–अर्जन की जा चुकी है। योजना परामर्शी का चयन एवं निर्माण हेतु नक्शा अनुमोदन हेतु भवन निर्माण विभाग को समर्पित किया गया है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा, सारण में पुस्तकालय एवं स्मृति भवन का निर्माण हेतु 5.35 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है।

राज्य के धरोहरों का अन्वेषण, उत्खनन एवं संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में पुरातत्व निदेशालय के अन्तर्गत अभी तक कई महत्वपूर्ण स्थलों पर उत्खनन कार्य कराए गए हैं। गत वर्ष तेल्हाड़ा (नालन्दा), चौसा (बक्सर), चेचर (वैशाली), कटरागढ़ (मुजफ्फरपुर), सलेमपुर (मधुबनी), ताराडीह (बोधगया), चिरांद (सारण), अपसढ़ (नवादा) आदि पुरास्थलों पर उत्खनन कार्य कराया गया है। पुरातत्व निदेशालय के द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण पुरास्थलों एवं ऐतिहासिक स्मारकों का सर्वेक्षण किया गया है, यथा–मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), मीरा बिगहा (जहानाबाद), सोफा मंदिर (पश्चिमी चम्पारण), बनकट्ट (मधुबनी), महेशपट्टी (समस्तीपुर), प्रीतमटिला (नालन्दा), भेलावर (जहानाबाद), साम्हो (बेगूसराय), सबलपुर (पटना), पादरी की हवेली (पटना)।

निदेशाालय द्वारा 'Protected Monuments of Bihar' एवं 'History of Munger' नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है।

पुरातत्व निदेशालय द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक 39 पुरास्थलों एवं स्मारकों को बिहार प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वशील अवशेष तथा कला निधि अधिनियम 1976 के तहत संरक्षित घोषित कर उनके संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, राजगीर में किया जाना है। उच्च मापदंड का स्पोर्ट्स अकादमी का निर्माण, पिल्खी, राजगीर में किया जाना है। एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन एवं विस्तार किया जायेगा।

राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी निर्माण लोक कला, लोक नृत्य एवं लोक नाटक का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास किया जाना। राज्य में फिल्म एवं टेलिविजन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म नीति एवं फिल्म सिटी का निर्माण करना तथा मिथिला चित्रकला संस्था, रहिका, मधुबनी में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण सत्र का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में संग्रहालयों की स्थापना की गयी है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं नव–संग्रहालय विज्ञान के अनुरूप पटना में बिहार संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है।

उत्खनन एवं अन्वेषण में वैज्ञानिक विश्लेषणों के आधुनिकतम आयामों का समावेश किया जाएगा। पुरातात्विक संरक्षण हेतु अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त एक संरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। Apps के माध्यम से अन्वेषण एवं संरक्षण के कार्यों का अनुश्रवण किये जाने का प्रयास भी होगा। पुरास्थलों और पुरावशेषों के Documentation को Digitize कर विस्तृत पुरातात्विक Database तैयार किया जाएगा। इन सूचनाओं को Website पर डालकर इन्हें जनोपयोगी बनाने का भी प्रयास किया जाएगा।

dyk lLdfr ,o ;ok foHkkx dk o"k 2016&17 e 125-94 djkM #i; ¼,d lk iPph l djkM pkjkuo yk[k #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk gq ftle ;ktuk en e 51-80 djkM #i; ¼bD;kou djkM vLlh yk[k #i;½ ,o xj ;ktuk en e 74-14 djkM #i; ¼pkgÙkj djkM pkng yk[k #i;½ 'kkfey gA

सामान्य प्रशासन विभाग

राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं के सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है।

राज्य की जनता द्वारा समर्पित किये जाने वाले शिकायतों का विनिर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण कराये जाने के उद्देश्य से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 एवं नियमावली को राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। सम्पूर्ण व्यवस्था को दिनांक 01.05.2016 के प्रभाव से लागू करने की योजना है।

संरचना और निर्माण कार्य में लगे कर्मियों को समय के पूर्व योजना पूरा करने, गुणवत्ता पर समझौता किये बिना, लागत कम करने, विभिन्न सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा की बचत के लिए, प्रशंसात्मक प्रोत्साहन योजना के तहत लाभान्वित करने का इरादा है। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी रूपरेखा तैयार करेगा।

राज्य सरकार के अधीन समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु गठित ''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2015'' का गठन किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में कुल 88 असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की नियुक्ति की गई है।

राज्य में विभिन्न न्यायालयों के लिए कुल 39 असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पदों का सृजन किया गया है।

कर्तव्यनिष्ठा की भावना में सतत् वृद्धि हेतु संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा–नियमितिकरण के मामलों पर विचार करने के हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन्नयन के लिए ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना'' का गठन किया गया है।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त राज्य के क्षेत्रीय पदस्थापना के कर्मियों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत् सभी 9 प्रमंडलों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

एक लाख पचास हजार से कम आय वाले उच्च जातियों (अल्पसंख्यक सहित) के परिवार से आने वाले प्रथम श्रेणी में मैट्रिक उत्तीर्ण छात्रों को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रू0 10,000/— (दस हजार) की प्रोत्साहन राशि एकमुश्त प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सरकार द्वारा Zero Tolerance की नीति अपनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गये एवं निगरानी के अन्य मामलों में कुल 142 सरकारी सेवकों को आरोपित किया गया है ।

लोक सेवाओं के तहत राज्य की जनता को 24 प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिसमें और भी सेवाओं को लाये जाने की योजना है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 में e-office की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसे अगामी वर्षों में विस्तारित करने की योजना है।

lkekU; i'kklu foHkkx dk o"k 2016&17 e 528-00 djkM #i; ¼ikp lk vBkbl djkM #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ftle ;ktuk en e 35-53 djkM #i; ¼irhl djkM frjiu yk[k #i;½ ,o xj ;ktuk en e 492-48 djkM #i; ¼pkj lk cjkuo djkM vMrkyhl yk[k #i;½ 'kkfey gA

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के त्वरित एवं सुचारू कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015—16 में कुल 30 (तीस) मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें 709 (सात सौ नौ) प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य की जनता की शिकायतों की सुनवाई एवं निराकरण के लिए मुख्य मंत्री द्वारा नियमित जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु विभागों/जिला मुख्यालय, अनुमण्डल, प्रखंड एवं थाना स्तर तक जनशिकायत कोषांगों का गठन किया गया है। प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम करने हेतु नवीन सूचना प्रावैधिकी का उपयोग किया जा रहा है। राज्य मुख्यालय से प्रखण्ड स्तर तक के सभी जन शिकायत कोषांगों को जोड़ने की वृहद योजना है।

प्रगति के पथ पर हम जहाँ आज खड़े हैं, वहाँ से आगे बढ़ने के लिए सरकार के सात निश्चय घोषित हैं, यथा– (1) आर्थिक हल, युवाओं को बल, (2) आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, (3) हर घर बिजली लगातार, (4) हर घर नल का जल, (5) घर तक पक्की गली–नलियाँ, (6) शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, (7) अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें।

इन सात निश्चयों एवं अन्य संकल्पों के कार्यान्वयन के लिए बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है। इन निश्चयों, कार्यक्रमों एवं संकल्पों का मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परामर्श हेतु उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था की जायगी। जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा किया जायगा। मुख्य सचिव के स्तर पर नियमित रूप से इन कार्यक्रमों की समीक्षा की जायगी। सुशासन के इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सभी विभागों से लेकर प्रशासन के निम्न स्तर तक सुनिश्चित किया जाना हमारी प्राथमिकता होगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 मे दिनांक–04.06.2015 को तीन वाल्यूम में प्रकाशित पुस्तक Prescribed Documents in the Records of Bihar State of Archives 1913–1947 एवं शोध पत्रिका अभिलेख बिहार (अंक–5) का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है।

सिविल विमानन निदेशालय राजकीय वायुयान संगठन द्वारा राज्य में आपदा एवं विधि व्यवस्था से निपटने के लिए राजकीय विमान एवं हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। सूदूर क्षेत्रों में विमान के आवागमन हेतु राजकीय हवाई अड्डा का पक्कीकरण, विस्तार, चहारदिवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

पटना हवाई अड्डा के विकल्प के रूप में नालंदा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु 1,379 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर इसे लैण्ड बैंक में रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है। राजगीर के पिलखी मौजा में छोटे विमानों के परिचालन हेतु भी हवाई पट्टी का अधिग्रहित भूमि पर निर्माण प्रक्रियाधीन है।

मंझौआ हवाई अड्डा, आरा के चहारदिवारी निर्माण 243.45 लाख रुपये की लागत पर प्राक्कलित है। सिविल विमानन अन्तर्गत वायुयान संगठन एवं बिहार उड्डयन संस्थान के बीच स्थित एप्रोन जोड़ा जाना है। सिविल विमानन निदेशालय से सटे निदेशालय की भूमि पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु क्वार्टर निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। बक्सर, कटिहार, बिहारशरीफ तथा बेतिया हवाईअड्डों के चहारदिवारी का निर्माण कार्य कराया जायेगा। बिहार उड्डयन संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक–30.12.2015 तक कुल 451.20 घंटे की प्रशिक्षण उड़ान की गई है।

2016–17 में राजकीय विमान की इंजन के ओभरहॉल, विभिन्न हवाईअड्डों के चहारदिवारी निर्माण, छोटे हैलीपैडों का निर्माण, लॉन्ज निर्माण आदि का लक्ष्य रखा गया है।

ef=eMy lfpoky; foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 373-33 djksM+ #i;s ¼rhu lkS frgÙkj djksM+ rSarhl yk[k #i;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gw¡ ftlesa ;kstuk en esa 224-76 djksM+ #i;s ¼nks lkS pkSchl djksM+ fNgÙkj yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 148-56 djksM+ #i;s ¼,d lkS vM+rkyhl djksM+ NIiu yk[k #i;s½ 'kkfey gSA

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कई बड़ी एवं महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें पटना में नियोजन भवन, जमुई, लखीसराय, शिवहर एवं वैशाली में राजकीय पॉलिटेकनिक भवन, भागलपुर, नवगछिया एवं बांका में कोर्ट भवन एवं आवासीय भवन, 5 स्थानों पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन एवं विभिन्न स्थलों पर महापुरूषों का प्रतिमा अधिष्ठापन, कोषागार कार्यालय भवन, सभी जिलों में ई०वी०एम० गोदाम का निर्माण इत्यादि प्रमुख है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन कई बड़ी योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है जिसमें 490.00 करोड़ रुपये की लागत पर अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर एवं ज्ञान

भवन, 362.49 करोड़ रुपये की लागत से बिहार विधान सभा भवन एवं सचिवालय विस्तारीकरण योजना, 498.49 करोड़ रुपये की लागत से बिहार संग्रहालय भवन, 39.72 करोड़ रुपये की लागत पर पटना में इन्दिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, विभिन्न स्थानों पर कोर्ट भवन एवं आवासीय भवन, पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण, 493 स्थानों पर डाटा सेन्टर, प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण इत्यादि शामिल है।

इसके अतिरिक्त 450.32 करोड़ रुपये की लागत पर मॉडल विधायक आवास योजना एवं 337.66 करोड़ रुपये की लागत पर पटना में पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य, विभिन्न जिला में पॉलिटेकनिक एवं अभियंत्रण महाविद्यालय सहित अन्य बड़ी योजनाएँ प्रगति में है।

152.37 करोड़ रुपये की लागत पर पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मति स्तुप का निर्माण, 135.74 करोड़ रुपये की लागत पर वी०पी० मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा का निर्माण, 164.31 करोड. रुपये की लागत पर दरभंगा में तारामंडल–सह–विज्ञान केन्द्र की स्थापना, 240.64 करोड़ रुपये की लागत पर सासाराम एवं कटिहार में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, बाढ़ एवं बख्तियारपुर में पॉलिटेकनिक एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना एवं साइंस सिटी इत्यादि। इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारंभ किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मद में सरकारी भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्रमानुसार सभी सरकारी भवनों एवं महत्वपूर्ण भवनों के रख रखाव का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का चरणबद्ध तरीके से भूकम्प से सुरक्षा हेतु रेट्रोफिटिंग्स का कार्य किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में गर्दनीबाग, पटना में सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा, जिसमें चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए भी आवास की व्यवस्था होगी।

Hkou fuek.k foHkkx dk o"k 2016&17 e 3]180-16 djkM #i; ¼rhu gtkj ,d lk vLlh djkM lkyg yk[k #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ft le ;ktuk en e 2]530-24 djkM #i; ¼nk gtkj ikp lk rhl djkM pkch l yk[k #i;½ ,o xj ;ktuk en e 649-92 djkM #i; ¼N lk mUpkl djkM cjkuo yk[k #i;½ 'kkfey gA

वित्त विभाग

राज्य के 20 अनुमंडलो में नये कोषागार स्थापित किये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 15 अनुमंडलों में कोषागार कार्यालय स्थापित हो चुका है। रक्सौल, चकिया, फुलपरास, पालीगंज एवं जगदीशपुर में कोषागार की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त त्रिवेणीगंज अनुमंडल में भी एक कोषागार स्थापित किया गया है। राज्य के 33 जिलों (पटना छोड़कर) में कोषागार भवन का निर्माण कराया गया है तथा चार जिलों– अरवल, कैमूर, भोजपुर तथा सीवान में निर्माण कार्य प्रगति पर है। कोषागारों का कम्प्युटराइजेशन एवं मुख्यालय से नेटवर्क लिंकिंग किया गया है। इन्हें अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर इनका जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राजकीय प्रेस गुलजारबाग एवं गया के जीर्णोद्धार एवं क्षमता संवर्द्धन हेतु आधुनिक प्रिन्टिंग मशीन एवं उपस्कर की आपूर्ति एवं स्थापना की जा रही है।

भविष्यनिधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों का कम्प्युटराइजेशन, आधुनिकीकरण एवं नेटवर्क लिंकिंग किया गया है। फलतः लेखधारियों को लेखा की अद्यतन सूचना एवं लेखा वित्त विभाग के e-GPF पोर्टल पर उपलब्ध हो गया है। विभागान्तर्गत बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (BRAIN MISSON MODE) परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजस्व प्रशासन को अद्यतन तकनीक से युक्त किया गया है। वित्त विभाग के कम्प्युटराईज्ड सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम हवाई अड्डा पथ में निर्माणाधीन है। वित्त विभाग अंतर्गत निदेशालय के भवन निर्माण हेतु भी राशि प्रावधानित की जा रही है।

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि 10 हजार की आबादी पर बैंकों की शाखाएं खोली जाय, जिस पर बैंकों ने भी अपनी सहमति जतायी है। इसके लिए प्रत्येक 3 माह पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक माननीय मुख्यमंत्री/माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है और इसमें अन्य उन्नत राज्यों की भांति बिहार सूबे में भी सी०डी० अनुपात बढ़ाये जाने हेतु कार्रवाई की जाती है। इसके लिए प्रत्येक जिला से नामित किया गया हैं परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति हो रही है तथा प्रगति को और तेज रफ्तार दी जायगी।

बैंकों को शाखाओं की संख्या बढ़ानी होगी ताकि ऋण लेने के लिए मीलों का सफर नहीं तय करना पड़े, खाता धारियों को प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड दें ताकि वे व्यवसाय की नई व्यावहारिक जानकारी हासिल कर सकें। व्यापारियों, दुकानों, होटल एवं पेट्रोल पम्प में अभियान चला कर कार्ड स्वैपिंग मशीन (Card Swapping Machine) लगायें जिससे अप्रत्यक्ष कर की चोरी न हों।

वित्तीय अनुशासन के तहत मुख्य लेखा नियंत्रक की ईकाई को सुदृढ़ किया जायेगा, इसके लिए नियुक्ति, प्रशिक्षण, समय पर अंकेक्षण प्रतिवेदन भेजना तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि Performance Audit भी हो, सिर्फ व्यय का ही अंकेक्षण नहीं हों, अंकेक्षण का उद्देश्य सकारात्मक होगा, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार भी इसका लक्ष्य होगा। अंकेक्षण मैनुअल को पुनरीक्षित किया जायेगा।

राज्य के आंतरिक राजस्व संग्रह में उतरोत्तर बढ़ोतरी के लिये लगातार प्रयास किया जा रहा है। राजस्व उगाही में लगे वैसे कर्मियों जिनका कार्य उत्कृष्ट होगा उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

कोषागार कम्प्यूटरीकरण का उन्नयन करते हुए online प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है जिससे विभिन्न हित धारकों को जोड़ा जायेगा। राज्य का बजट अधिशेष का बजट है। राज्य में कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राजकोषीय घाटा निर्धारित अधिसीमा के अधीन है।

वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न Manual, Code, नियमावली की पुनः समीक्षा कर उन्हें और प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जायेगा। कोषागार तथा भविष्य निधि कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक निदेशालय भवन स्थापित किया जायेगा।

भविष्य निधि एवं वेतन वितरण व्यवस्था का पूर्ण Computerisation किया जायेगा तथा अंकेक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के आंतरिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति की दिशा में ठोस कार्रवाई की जायेगी।

सामान्य भविष्य निधि को यूजर फ्रेंडली बनाने हेतु Android mobile app. विकसित किया जायेगा।

Open Market Borrowing की अधिसीमा बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा और सस्ती ब्याज दर पर NABARD से अधिक से अधिक ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

अकार्यरत Public Sector Enterprise को बंद करने की कार्रवाई की जायेगी और इसके कर्मियों का समायोजन किया जायेगा।

foÙk foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 282-06 djksM+ #i;s ¼nks lkS cjklh djksM+ N% yk[k #i;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gS] ftlesa ;kstuk en esa 42-50 djksM+ #i;s ¼c;kyhl djksM+ ipkl yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 239-56 djksM+ #i;s ¼nks lkS mUpkyhl djksM+ NIiu yk[k #i;s½ 'kkfey gSA o"kZ 2016&17 esa iqu'ku en esa 16274-60 djksM+ #i;s ¼lksyg gtkj nks lkS pkgÙkj djksM+ lkB yk[k #i;s½ iLrkfor gSA

खान एवं भूतत्व विभाग

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से लगातार अपने समाहरण में वृद्धि कर रहा है। 15 दिसम्बर 2015 तक 569.31 करोड़ रुपये खनन राजस्व की प्राप्ति की गई, जो दिसम्बर 2015 तक के निर्धारित लक्ष्य 500 करोड़ रुपये का 113.86 प्रतिशत है।

अब तक बिहार राज्य के 5 जिलों के कुल 40 पत्थर खनन् पट्टों की लोक नीलामी के माध्यम से बंदोबस्ती की गई है। पाँच वर्षों हेतु बंदोबस्ती राशि कुल 728.91 करोड़ रुपये है।

राज्य के 29 जिलों में बालू खनिज उपलब्ध है। इन जिलों को 25 बालूघाट इकाइयों के रूप में नई बालू नीति के प्रावधानो के अनुसार संगठित किया गया है। बालूघाटों की पचांग वर्ष 2015 से 2019 तक कुल 5 वर्षों के लिए लोक नीलामी के माध्यम से बंदोबस्ती की गई है।

पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से सभी खनन पट्टाधारियों द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करते हुए उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

अवैध खनन की रोक–थाम को और प्रभावी बनाने के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह नवम्बर 2015 तक कुल 3,442 छापामारी, 2,299 जब्ती, 936 व्यक्तियों पर प्राथमिकी, 105 गिरफ्तारी तथा 752.24 लाख रुपये की वसूली की गई है। परिवहन विभाग के साथ मिलकर अवैध खनन एवं ओवरलोडिग के विरूद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध Zero Tolerance की नीति अपनाते हुए राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान के तहत् भ्रष्टाचार में दोषी पाये गये पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है।

खान एवं भूतत्व विभाग में मानव बल की कमी को दूर करने के लिए खनिज विकास पदाधिकारी (ग्रुप ख) राजपत्रित के 12 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को, तथा खान निरीक्षक (ग्रुप ख) अराजपत्रित के 23 पदो पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है।

[kku ,o HkrRo foHkkx dk o"k 2016&17 e 18-95 djkM #i; ¼vBkjg djkM iUpkuo yk[k #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] tk xj ;ktuk en e 'kkfey gA

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग राज्य का एक प्रमुख राजस्व संग्रहकर्त्ता विभाग है। नवम्बर, 2015 तक रू0 682.53 करोड़ की राजस्व वसूली हुई है। वित्तीय वर्ष–2016–17 हेतु 1,500 करोड़ रू0 का राजस्व वसूली लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 नवम्बर 2015 तक 4.48 लाख वाहनों का निबंधन किया गया।

राज्य के प्रवेश मार्गों यथा डोभी (गया), रजौली (नवादा), कर्मनाशा (कैमूर), जलालपुर (गोपालगंज), दालकोला (पूर्णियॉ) तथा बक्सर में समेकित जॉच चौकियाँ कार्यरत है।

कर भुगतान की प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए ई–पेमेंट की व्यवस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध कर लागू किया गया है। अगले चरण में अन्य सभी वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से Internet Banking Debit/Credit Card के माध्यम से कर के भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत वैसे तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, जो महिला के नाम पर निबंधित है तथा उसका चालन स्वयं उस महिला या अन्य व्यावसायिक अनुज्ञप्तिधारी महिला द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए शतप्रतिशत वाहन कर में छूट दी गई है।

निःशक्तजनों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लगनेवाले कर को पूर्ण रुप से विलोपित कर दिया गया है।

उतरोत्तर जागरुकता हेतु सड़क सुरक्षा को राज्य के विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। ''राज्य सड़क सुरक्षा समिति एवं ''जिला सड़क सुरक्षा समिति'' को क्रियाशील किया गया है। बिहार सड़क सुरक्षा नीति, 2015 बनाई गई है। ''बिहार रोड सेफ्टी एक्शन प्लान'' तथा ''रोड सेफ्टी फंड'' का गठन प्रक्रियाधीन है।

मोटरवाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में 135 प्रदूषण जाँच केन्द्र कार्यरत हैं।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की कुल 118 बसें संचालित हैं। इसके अतिरिक्त लोक निजी भागीदारी के अन्तर्गत 337 निजी बसों का संचालन निगम द्वारा किया जा रहा है । निगम को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से निगम की भूमि पर अवस्थित 14 बस डीपो/अड्डों को पी०पी०पी० मोड में अत्याधुनिक बस टर्मिनल–सह–व्यवसायिक कम्पलेक्स के रूप में विकसित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

वर्ष 2015–16 में 1,487.17 लाख रुपये की लागत से जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण, चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान का निर्माण तथा प्रवर्तन तंत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

सभी जिलों में जिला परिवहन कार्यालय–सह–परिवहन सुविधा केंद्रों के निर्माण योजना अन्तर्गत मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा, पश्चिमी चम्पारण, सुपौल, बांका, मोतिहारी, रोहतास, गोपालगंज, कैमूर, सीतामढ़ी तथा छपरा जिलों में आधुनिक सुसज्जित परिवहन भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अन्य जिलों में कार्य प्रगति पर है।

व्यवसायिक चालक प्रशिक्षण के लिए 2,267.25 लाख़ रुपये की लागत से औरंगाबाद जिला में एक आधुनिक चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान का निर्माण कार्य चल रहा है।

दो पूर्ण कम्प्यूटरीकृत Automated Inspection & Certification Centre की स्थापना प्रस्तावित है। इनमें वाहनों को पूर्ण कम्प्यूटरीकृत एवं स्वचालित यंत्रों से जाँच कर दुरूस्ती प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकेगा एवं प्रशिक्षित चालक भी प्राप्त होंगे।

गाँधी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर अंकुश लगाने हेतु पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत चार अन्तर्राज्यीय मार्गों में कम्प्युटराइज्ड वे–ब्रीज (धर्मकांटा) सौ टन वजन क्षमता का अधिष्ठापन किया जा रहा है। बिहटा, फतुहा तथा पटना (ट्रान्सपोर्ट नगर) में 'वे–ब्रीज'' का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है।

ifjogu foHkkx dk o"k 2016&17 e 55-76 djkM #i;s ¼ipiu djkM fNgÙkj yk[k #i;s½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] ft le ;ktuk en e 6-86 djkM #i;s ¼N% djkM fN;klh yk[k #i;s½ ,o xj ;ktuk en e 48-90 djkM #i;s ¼vMrkyhl djkM uCcs yk[k #i;s½ 'kkfey gA

निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। माह दिसम्बर 2015 तक कुल 2,407 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्त हुई है।

जाली कोर्ट–फी स्टाम्पों की बिक्री पर रोक के उद्देश्य से पटना उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी न्यायालयों में कोर्ट फी स्टाम्पों की बिक्री फ्रैकिंग मशीन द्वारा की जा रही है। निबंधन से संबंधित सभी शुल्कों को संग्रहित करने के लिये Payment Gateway की निःशुल्क वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आम जन को बैंकों में चालान के माध्यम से तथा Credit Card/Debit Card से Net Banking द्वारा अपेक्षित शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। दस्तावेजों के निबंधन से संबंधित विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का Model Deed विभागीय Website पर उपलब्ध है तथा Score Software Version 4.0 में नेट के माध्यम से Data Upload कर सुगमता से अपना दस्तावेज तैयार कर Online जमा कर सकेगें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

MVR को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से सभी भूमि का खेसरावार वर्गीकरण कराया जा रहा है। निबंधन कार्यालयों में वर्ष 1795 से संधारित दस्तावेजों/अभिलेखों का Digitization किया जा रहा है और समस्त अभिलेखों को MPLS connectivity के माध्यम से विभागीय डाटा सेंटर में संधारित किया जा रहा है। सभी निबंधन कार्यालयों में "May I Help You Booth" कार्यरत है।

निबंधनार्थी जनता को विभिन्न दस्तावेजों के निबंधन हेतु कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्धारित समय की जानकारी online दी जायेगी। Pilot project के रूप में पटना में यह सुविधा

निकट भविष्य में उपलब्ध करा दी जायेगी। संस्था/फर्म का निबंधन पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं ऑन–लाईन किया जायेगा। वर्ष–1908–09 से 2014–2015 तक निबंधित 45,000 संस्थाओं एवं 8,000 फर्मों का Digitization किया जा चुका है। जनसाधारण को चालान द्वारा मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के भुगतान के तरीके के अतिरिक्त Net Banking, Debit Card एवं Credit Card के माध्यम से Online payment का विकल्प देने की कार्रवाई की जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड और छात्रों को ऋण देने की योजना के कार्यान्वयन पर काफी जोर (FOCUS) दिया जा रहा है। साथ ही गैर कृषि ऋण हेतु Stamp duty में कमी किया गया है, ताकि लाभार्थियों को ऋण लेने में कोई असुविधा न हो और सूबे में निवेश का अवसर भी बढ़े।

उत्पाद क्षेत्र से दिसंबर, 2015 तक 2,480.40 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।

नई उत्पाद नीति 2015 के तहत पूरे राज्य में पूर्ण मद्यपान निषेध चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। दिनांक–01 अप्रैल 2016 से प्रथम चरण में पूरे राज्य में देशी तथा मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण, व्यापार एवं उपभोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी जायेगी। मात्र शहरी क्षेत्रों में नगर निगम तथा नगर परिषद के स्तर पर केवल विदेशी शराब/आई०एम०एफ०एल० उपलब्ध हो पायेगी।

बार एवं रेस्टोरेन्ट की अनुज्ञप्ति केवल विदशी शराब के लिए नगर निगम तथा नगर परिषद क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। विदेशी शराब की दुकानें बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीधे नियंत्रण में संचालित की जाएगी।

स्प्रिट के अंतर्राज्यीय परिवहन को नियंत्रित करने के लिए स्प्रिट अथवा विदेशी शराब से भरे टैंकर/ट्रक को राज्य में प्रवेश करते ही राज्य की सीमा पर डिजीटल लॉक की व्यवस्था की जा रही है। राज्य की सीमा को पार करने हेतु इन्हें अधिकतम 24 घंटे का ट्रांजिट समय दिया जाएगा।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जैविक ईंधन के उपयोग के लिए राज्य में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित समस्त छोआ से इथनौल बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे देश में क्रूड ऑयल के आयात में कमी होगी तथा विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। राज्य में अधिष्ठापित सभी आसवनगृहों में स्प्रीट निर्माण के बदले इथनौल बनाने की स्वीकृति दी गयी है।

संविधान के प्रावधान–राज्य के नीति निर्धारक तत्व–गाँधी जी की इच्छा एवं समाज के गरीब तबकों के स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2016 से चरणबद्ध तरीके से राज्य में नशाबंदी कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

fucU/ku mRikn ,oa e| fu"ks/k foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 151-84 djksM+ #i;s ¼,d lkS bD;kou djksM+ pkSjklh yk[k #i;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gw¡ ftlesa ;kstuk en esa 1-00 djksM+ #i;s ¼,d djksM+ #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 150-84 djksM+ #i;s ¼,d lkS ipkl djksM+ pkSjklh yk[k #i;s½ 'kkfey gSA

<u>वाणिज्यकर विभाग</u>

jkT; ds vfrfjDr lkr lzftr djus gsrq fd;s x;s egRoiw.kZ dk;Z%& ई–कामर्स के माध्यम से राज्य में आयातित माल पर कर वसूलने के लिए बिहार प्रवेश कर अधिनियम में संशोधन किये गये हैं।

कई वस्तुओं पर वैट अधिनियम के अधीन कर अधिरोपित किया गया है तथा कई वस्तुओं के वैट की दर में संशोधन किया गया है, जिसमें मुख्यतः –

(क) रु0 500 प्रति किलोग्राम से अधिक मूल्य की मिठाईयाँ–13.5 प्रतिशत की दर से।

(ख) रुपये 500 प्रति मीटर से अधिक मूल्य के कपड़े एवं रुपये 2,000 से अधिक मूल्य

की साड़ियों पर 5 प्रतिशत की दर से

(ग) पैक्ड, ब्रांडेड तथा संरक्षित नमकीन यथा– सिंघाड़ा, निमकी, कचौड़ी पर 13.5 प्रतिशत की दर से।

दस वस्तुओं पर वैट की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत की गयी है तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अविनिर्दिष्ट वस्तुओं पर कर की दर 13.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत किया गया है।

पेट्रोल एवं डीजल पर अधिभार की दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बिहार पेशा कर अधिनियम में संशोधन करते हुए कराधार को और विस्तृत किया गया है।

पुराने बकाया कर से संबंधित मामलों के निपटारे एवं एकमुश्त समाधान हेतु ''बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015'' तीन माह की अवधि हेतु लागू किया गया। पुराने लंबित मामलों को निबटाने हेतु बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम 2016 लाए जाने का भी प्रस्ताव है।

व्यवसायी एवं उद्यमी की सुविधा हेतु सभी व्दसपदम सेवाओं को एक ही वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर स्थानांतरित किया गया है। Macro Excel Based VAT Return Templates कार्यरत हो गया है। इससे ऑनलाईन विवरणियों में भूलवश किये जा रहे त्रुटियों का निराकरण संभव हो रहा है।

मालों के आवाजाही में वृद्धि हेतु रोड अनुज्ञापत्र (D-VIII) रखे जाने की अनिवार्यता सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है।

निबंधित लघु एवं मध्यम उद्योगों, निबंधित सूक्ष्म उद्योगों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री–कर की दर मात्र 1 प्रतिशत कर दी गयी है।

राज्य के अन्दर खरीद–बिक्री करने वाले व्यवसायियों के लिए वाणिज्य–कर विभाग में निबंधन प्राप्त करने की सीमा सकल विक्रय आवर्त्त को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है।

वाणिज्य–कर विभाग में 232 निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। इनके पदस्थापन से राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी।

वkf.kT;dj foHkkx dk o"kZ 2016&17 eas 102-59 djkM+ #i;s ¼,d lkS nks djkM+ mUlB yk[k #i;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gw¡ tks xr ;kstuk en eas 'kfey gSA

निर्वाचन विभाग

बिहार विधान परिषद् के 24 स्थानों को भरने के लिये द्विवार्षिक निर्वाचन, 2015 सम्पन्न कराया गया है। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अंतर्गत 243 विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न कराया गया है।

वर्तमान में फोटो निर्वाचक सूची में कुल निर्वाचकों की संख्या 6,69,70,702 है। निर्वाचक सूची में छायाचित्रों का आच्छादन एवं ईपिकधारियों की संख्या शत–प्रतिशत है। निर्वाचक सूची हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 57.10 करोड़ रुपये एवं मतदाता पहचान पत्र हेतु 7.10 करोड़ रुपये प्रावधानित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाईट पर ऑन–लाईन पद्धति से प्रारूप 6, 7, 8 एवं 8 ए में आवेदन करने की सुविधा आम जनता को प्रदान की गई है। आम जनता के सुझाव एवं शिकायत हेतु कॉल सेन्टर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में कार्यरत है। कोई भी व्यक्ति कॉल सेन्टर से टॉल–फ्री नं०–1950 पर डायल कर अपना सुझाव एवं शिकायत दर्ज करा सकता है।

नागरिकों को Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) के माध्यम से जागरूक बनाया जा रहा है। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में निर्वाचकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से श्रीमती शारदा सिन्हा, श्रीमती संतोष यादव एवं श्री शशि सुमन को स्टेट आईकॉन घोषित किया गया।

सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। राज्य, जिला एवं मतदान केन्द्र स्तर पर पंचम राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2016 को मनाया गया।

बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016, राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2016, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2016 बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2016, बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद का उप निर्वाचन, 2016, अर्हता तिथि 01.01.2017 के आधार पर निर्वाचक सूची का पुनरीक्षण कार्य लक्षित है।

fuokpu foHkkx dk o"k 2016&17 e 97-92 djkM #i; ¼lUrkuo djkM cjkuo yk[k #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] tk xj ;ktuk en e 'kkfey gA

निगरानी विभाग

राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति का अनुसरण करते हुए राज्य प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। लोक निधि के दुरूपयोग पर रोक के साथ–साथ लोक निर्माण में डिजाईन एवं विशिष्टि के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

बिहार विशेष न्यायालय, 2009 (अधिनियम 5, 2010) की धारा 5 (1) के अन्तर्गत अधिघोषणा निर्गत करने के बाद अवैध अर्जित सम्पत्ति के अधिहरण (Confiscation) हेतु विशेष न्यायालयों में 57 वाद दायर किया गया है, जिसमें 53.14 करोड़ रूपया निहित है। उक्त अधिनियम के तहत छः मामलों में सम्पत्ति अधिगृहित की गयी है एवं इनमें विद्यालय/छात्रावास खोला गया है।

वर्ष 2006 से अबतक कुल–734 ट्रैप के मामलों में 797 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2015 में कुल 53 ट्रैप के मामले, अप्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 119 मामले, पद के भ्रष्ट दुरूपयोग से संबंधित 344 मामले दर्ज किये गये।

निगरानी विभाग में कार्यरत तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के सभी मामले में भवन का मूल्यांकन किया जाता है। तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा अब तक कुल 35 मामलों की जाँच कर विभिन्न संस्थानों को प्रतिवेदन भेजा गया है तथा आय से अधिक सम्पत्ति के 11 मामलों में कुल 17 भवनों का मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालयों को समर्पित किया गया है।

fuxjkuh foHkkx dk o"k 2016&17 e 34-10 djkM #i; ¼pkSrhl djkM nl yk[k #i;½ vkofVr dju dk iLrko djrk g] tk xj ;ktuk en e 'kkfey gA

संसदीय कार्य विभाग

संसदीय कार्य विभाग एक गैर योजना विभाग है। इस विभाग का मुख्य कार्य विधान मण्डल के संयुक्त बैठक एवं अन्य बैठकों का आयोजन करवाना/दोनों सदनों की बैठक हेतु कार्यक्रम तैयार करना/विधान मण्डल के प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/निवेदनों/आश्वासनों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु विभागीय परामर्श समितियों का गठन करना तथा उनकी बैठकों का आयोजन करना/विधान मण्डलीय सदस्यों/मंत्रियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना/विधायी कार्यों के सन्दर्भ में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है।

विधान मण्डल का सत्राहूत/सत्रावसान, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना आदि महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन संसदीय कार्य विभाग ही करता है।

llnh; dk;Z foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 1-73 djksM+ #i;s ¼,d djksM+ frgÙkj yk[k #i;½ vkoafVr djus dk izLrko djrk gS] tks xSj ;kstuk en esa 'kkfey gS rFkk fcgkj fo/kku eaMy ds fy, 152-31 djksM+ #i;s ¼,d lkS ckou djksM+ bdrhl yk[k #i;½ xSj ;kstuk en esa izLrkfor gSA

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आउटडोर पब्लिसिटी, फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रकाशन, विकास एवं निवेश के लिए वातावरण निर्माण, सजावटी विज्ञापन, प्रेस संबंधित कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रोड शो, गीत एवं नाट्य मास मीडिया द्वारा बिहार में विकास एवं निवेश के लिए वातावरण बनाने का कार्य करती है। जिला तक प्रेस रिलेटेड एक्टीविटीज, विशिष्ट अवसरों पर प्रेस कवरेज, विकास कार्य के कवरेज हेतु प्रेस प्रतिनिधियों के साथ भ्रमण, जिला स्तर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़–नाटक, विशिष्ट अवसरों पर होर्डिंग/फ्लैक्स निर्माण, श्रावणी मेला, बौंसी मेला, पितृपक्ष मेला, सोनपुर मेला एवं सिंहेश्वर मेला जैसे अवसरों पर विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत राज्य की नीति एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार किया जाता है।

समाज के कमजोर वर्गों के बीच होर्डिंग/फ्लैक्स, फिल्म, लोकगीत, नृत्य, प्रदर्शनी एवं अन्य उचित माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर कमजोर वर्गों/नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनता के बीच होर्डिंग/फ्लैक्स, फिल्म, लोक गीत, नृत्य प्रदर्शनी एवं अन्य उचित माध्यमों के द्वारा सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के बारे में जनता को जागरूक किये जायेंगे।

पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में कार्यरत संचार प्रतिनिधियों को ग्रुप चिकित्सकीय एवं व्यक्तिगत दुघर्टना बीमा योजना का वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना लागू किया गया है।

पत्रकार पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के वरिष्ठ मीडियाकर्मियों को पेंशन योजना से आच्छादित करने के उद्देश्य से विभाग के स्तर पर पत्रकार पेंशन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सभी जिलों में प्रेस क्लब भवन के निर्माण हेतु 2,912.91 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है।

lpuk ,o tulEidZ foHkkx dk o"kZ 2016&17 esa 204-49 djksM+ #i;s ¼nks lkS pkj djksM+ mUupkl yk[k #i;s½ vkofVr djus dk iLrko djrk gw] ftlesa ;kstuk en esa 90-12 djksM+ #i;s ¼uCcs djksM+ ckjg yk[k #i;s½ ,oa xSj ;kstuk en esa 114-37 djksM+ #i;s ¼,d lkS pkSng djksM+ lSarhl yk[k #i;s½ 'kkfey gSA

<u>गन्ना उद्योग विभाग</u>

कृषि रोड मैप अंतर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम, आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम, प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम, समेकित कीट ब्याधि प्रबंधन कार्यक्रम, खूंटी प्रबंधन कार्यक्रम, गन्ने के साथ अन्तरवर्ती फसल उत्पादन कार्यक्रम, कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम, कृषकों/ पदाधिकारियों का राज्य से बाहर भ्रमण कार्यक्रम, सेमिनार आयोजन, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किये जा रहें है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में 50.71 करोड़ रुपये का चीनी मिलों की देयता का भुगतान किया गया है। वचनबद्ध राशि कुल 7.38 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया है। ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार के लिए अब तक 50 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में गन्ना के प्रजनक बीज उत्पादन, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जायेगा। किसानों को उत्तम प्रभेदों का प्रमाणित बीज वितरण, जीवाणु खाद वितरण, पौधा संरक्षण रसायन के वितरण, गन्ना के साथ अन्य फसलों के अंतरवर्ती खेती के प्रोत्साहन, कृषि यांत्रिकरण राष्ट्रीय/राज्य अंतर्गत प्रशिक्षण एवं अध्ययन परिभ्रमण राज्यस्तरीय सेमिनार गन्ना के अनुसंधान एवं विकास एवं योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा तकनीकी प्रचार का कार्य किया जायेगा।

पेराई सत्र 2013–14 एवं पेराई सत्र 2014–15 के लिए मिलों द्वारा दिनांक–30.11.2015 तक ईख मूल्य का भुगतान किया गया है। क्रय किये गये गन्ने के बाबत सरकार द्वारा अनुदान मद में अब तक 85.54 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

किसानों द्वारा आपूरित गन्ने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भुगतान हेतु 29.09 करोड़ रुपये संबंधित जिला के समाहर्त्ता को उपलब्ध करा दिया गया है।

गन्ना कृषकों को ईंख मूल्य भुगतान के निमित्त चीनी मिलों को उनके द्वारा क्रय किये गये गन्ने पर 35 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकारी बैंको के माध्यम से कुल 203.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सूद का भुगतान अगले छः वर्षो तक राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रोत्साहन पैकेज को और परिमार्जित करते हुए प्रोत्साहन पैकेज 2014 के रूप में घोषित किया गया। नई प्रोत्साहन नीति में अचल पूँजी निवेश अन्तर्गत अनुदान की अधिसीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया है।

xUuk m|kx foHkkx dk o"k 2016&17 e 121-66 djkM #i; ¼,d lk bDdhl djkM fN;klB yk[k #i;½ vkofVr djus dk iLrko djrk g] ftles ;ktuk en e 101-84 djkM #i; ¼,d lk ,d djkM pkjklh yk[k #i;½ ,o xSj ;ktuk en e 19-82 djkM #i; ¼mUuhl djkM cjklh yk[k #i;½ 'kkfey gA

समेकित निधि में भारित राशि– वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में 12,977.85 करोड़ रुपये (बारह हजार नौ सौ सतहत्तर करोड़ पचासी लाख रुपये) भारित मद में व्यय होनी प्रस्तावित है जिसमें सूद मद में 8,178.83 करोड़ रुपये, (आठ हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ तिरासी लाख रुपये) लोक ऋण की मूलधन वापसी में 4,074.39 करोड़ रुपये (चार हजार चौहत्तर करोड़ उनचालीस लाख रुपये), निक्षेप निधि में 562.11 करोड़ रुपये, (पाँच सौ बासठ करोड़ ग्यारह लाख रुपये), माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 111.56 करोड़ रुपये (एक सौ ग्यारह करोड़ छप्पन लाख रुपये), बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 21.22 करोड़ रुपये (इक्कीस करोड़ बाईस लाख रुपये), राज्यपाल सचिवालय हेतु 13.49 करोड़ रुपये (तेरह करोड़ उन्चास लाख रुपये), लोकायुक्त के लिए 4.40 करोड़ रुपये (चार करोड़ चालीस लाख रुपये), विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति/उप सभापति के वेतन एवं भत्ते मद हेतु 1.14 करोड़ रुपये (एक करोड़ चौदह लाख रुपये) एवं माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों के सेवा निवृति लाभ मद में 10.70 करोड़ रुपये (दस करोड़ सत्तर लाख रुपये) प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

eu iol e ljdkj dh miyfC/k;k rFkk vkus oky o"k d foHkkxokj dk;Øek dk lnu d le{k iLrr fd;k gA vc e oÙkeku foÙkh; o"k 2015&16 d iujhf{kr vuekuk rFkk vxy foÙkh; o"k 2016&2017 d ctV vuekuk dk l{ki e iLrr dj jgk g&

वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 1,24,590.24 करोड़ रुपये (एक लाख चौबीस हजार पाँच सौ नब्बे करोड़ चौबीस लाख रुपये) है। वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित अनुमान 1,00,183.77 करोड़ रुपये (एक लाख एक सौ तिरासी करोड़ सतहत्तर लाख रुपये) है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 24,406.47 करोड़ रुपये (चौबीस हजार चार सौ छः करोड़ सैंतालीस लाख रुपये) (24.36 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में अधिक प्राप्त होगा।

वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियाँ 18,494.56 करोड़ रुपये (अठारह हजार चार सौ चौरानवे करोड़ छप्पन लाख रुपये) की राशि प्राप्त होनी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 21,272.30 करोड़ रुपये (इक्कीस हजार दो सौ बहत्तर करोड़ तीस लाख रुपये) प्राप्त होना संभावित है, जो वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 2,777.74 करोड़ रुपये (दो हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख रुपये) अधिक होगा। पूंजीगत प्राप्ति में ऋण की राशि भी सम्मिलित रहती है।

वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में राजस्व व्यय 1,01,667.38 करोड़ रुपये (एक लाख एक हजार छः सौ सड़सठ करोड़ अड़तीस लाख रुपये) आंकी गई है। वर्ष 2016–17 में राजस्व व्यय 1,09,940.78 करोड़ रुपये (एक लाख नौ हजार नौ सौ चालीस करोड़ अठहत्तर लाख रुपये) आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8,273.40 करोड़ रूपय (आठ हजार दौ सौ तिहत्तर करोड़ चालीस लाख रुपये) अधिक है।

वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 31,182.10 करोड़ रुपये (इकतीस हजार एक सौ बेरासी करोड़ दस लाख रुपये) आंका गया है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 34,755.49 करोड़ रुपये (चौंतीस हजार सात सौ पचपन करोड़ उनचास लाख रुपये) है। वर्ष 2016–17 में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) पिछले वर्ष की तुलना में 3,573.39 करोड़ रुपये (तीन हजार पाँच सौ तिहत्तर करोड़ उनचालीस लाख रुपये) अधिक है।

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 2015–16 का पुनरीक्षित बजट अनुमान 1,32,849.48 करोड़ रुपये (एक लाख बतीस हजार आठ सौ उनचास करोड़ अड़तालीस लाख रुपये) का है । वर्ष 2016–17 में 1,44,696.27 करोड़ रुपये (एक लाख चौवालीस हजार छः सौ छियानवे करोड़ सताईस लाख रुपये) का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय होने का अनुमान किया गया है, जो पिछले वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 11,846.79 करोड़ रुपये (ग्यारह हजार आठ सौ छियालीस करोड़ उनासी लाख रुपये) अधिक है। पुनरीक्षित अनुमान में जो राशि प्रदर्शित हो रही है उसमें वास्तविक व्यय में परिवर्त्तन होगा क्योंकि राज्य योजना का पुनरीक्षित अनुमान 63,832.48 करोड़ रुपये (तिरसठ हजार आठ सौ बतीस करोड़ अड़तालीस लाख रुपये) का है। राज्य योजना व्यय 52,000 करोड़ रुपये (बावन हजार करोड़ रुपये) की अधिसीमा तक ही हो सकेगा। आयोजना एवं आयोजना भिन्न मद में वर्ष के अन्त में होने वाले प्रत्यर्पण के फलस्वरूप पुनरीक्षित अनुमान में उल्लेखित राशि से कम व्यय होगा।

वर्ष 2016–17 में राज्य की वार्षिक योजना 71,501.84 करोड़ रुपये (इकहत्तर हजार पाँच सौ एक करोड़ चौरासी लाख रुपये) की अनुमानित की गयी है, जो वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान 57,137.62 करोड़ रुपये (सन्तावन हजार एक सौ सैंतीस करोड़ बासठ लाख रुपये) से 14,364.22 करोड़ रुपये (चौदह हजार तीन सौ चौंसठ करोड़ बाईस लाख रुपये) अधिक है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत 917.48 करोड़ रुपये (नौ सौ सतरह करोड़ अड़तालीस लाख रुपये) का व्यय होना प्रस्तावित है जो वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान 288.11 करोड़ रुपये (दो सौ अठासी करोड़ ग्यारह लाख रुपये) से 629.37 करोड़ रुपये (छः सौ उनतीस करोड़ सैंतीस लाख रुपये) अधिक है।

vulfpr tkfr;k ,o tu tkfr;k d fy, d.kkfdr jkf'k %& अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय के सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके

और राशि को अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस मद में मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कुल 11,890.09 करोड़ रुपये (ग्यारह हजार आठ सौ नब्बे करोड़ नौ लाख रुपये) की राशि प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 1,049.78 करोड़ रुपये (एक हजार उनचास करोड़ अठहत्तर लाख रुपये) प्रावधानित की गई है जो कि मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 796 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

आय-व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :-

Ø- l-	fooj.k	2015&16 dk iqujhf{kr iwDdyu ¼djksM+ #i;s½	jkf'k 'kCnksa esa	2016&17 dk ctV iwDdyu ¼djksM+ #i;s½	jkf'k 'kCnksa esa
1	2	3	4	5	6
1.	कुल राजस्व प्राप्ति	100183.77	एक लाख एक सौ तिरासी करोड़ सतहत्तर लाख रुपये	124590.24	एक लाख चौबीस हजार पाँच सौ नब्बे करोड़ चौबीस लाख रु.
2.	राज्य सरकार का अपना कर राजस्व	25655.85	पच्चीस हजार छह सौ पचपन करोड़ पचासी लाख रुपये	29730.27	उनतीस हजार सात सौ तीस करोड़ सत्ताइस लाख रुपये
3.	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	50747.58	पचास हजार सात सौ सैंतालीस करोड़ अन्ठावन लाख रुपये	58359.72	अन्ठावन हजार तीन सौ उनसठ करोड़ बहत्तर लाख रुपये
4.	केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान	21784.53	इक्कीस हजार सात सौ चौरासी करोड़ तिरपन लाख रुपये	34142.14	चौंतीस हजार एक सौ बयालिस करोड़ चौदह लाख रुपये
5.	राजस्व व्यय	101667.38	एक लाख एक हजार छह सौ सड़सठ करोड़ अड़तीस लाख रुपये	109940.78	एक लाख नौ हजार नौ सौ चालीस करोड़ अठहत्तर लाख रुपये
6.	राजस्व बचत (+)/घाटा(–)	–1483.61	एक हजार चार सौ तिरासी करोड़ एकसठ लाख रुपये	14649.46	चौदह हजार छह सौ उनचास करोड़ छियालिस लाख रुपये
7	पूंजीगत व्यय	31182.10	इक्तीस हजार एक सौ बयासी करोड़ दस लाख रुपये	34755.49	चौंतीस हजार सात सौ पचपन करोड़ उनचास लाख रुपये
8.	कुल व्यय	132849.48	एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ उनचास करोड़ अड़तालीस लाख रुपये	144696.27	एक लाख चौवालिस हजार छह सौ छियानवे करोड़ सत्ताइस लाख रुपये
9.	राजकोषीय घाटा	28505.42	अट्ठाइस हजार पांच सौ पांच करोड़ बयालीस लाख रुपये	16014.26	सोलह हजार चौदह करोड़ छब्बीस लाख रुपये

jkt dk"kh; ?kkVk %& राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक रहना है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल व्यय पुनरीक्षित अनुमान का 1,32,849.48 करोड़ रुपये (एक लाख बतीस हजार आठ सौ उनचास करोड़ अड़तालीस लाख रुपये) का है। वर्ष 2015–16 का राज्य योजना का मूल आकार 57,137.62 करोड़ रुपये (सनतावन हजार एक सौ सैंतीस करोड़ बासठ लाख रुपये) का है। विभागों को अतिरिक्त उद्व्यय देते हुए कुल प्रावधान 63,832.48 करोड़ रुपये (तिरसठ हजार आठ सौ बतीस करेाड़ अड़तालीस लाख रुपये) का किया गया है जिसमें कटौती कर संशोधित योजना उद्व्यय की सूचना विभागों को दी जायेगी, जिससे राज्य योजना मद में होने वाली बचत, गैर योजना मद एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में वर्ष के अन्त में बजट में प्रावधानित राशि के कुछ भाग का प्रत्यर्पण शामिल करने के उपरांत राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की अधिसीमा के अन्तर्गत रहेगा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 5,58,808.65 करोड़ रूपये (पाँच लाख अनठावन हजार आठ सौ आठ करोड़ पैंसठ लाख रूपये) का अनुमानित है जो कि योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा सूचित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजकोषीय घाटा 16,014.26 करोड़ रूपये (सोलह हजार चौदह करोड़ छब्बीस लाख रूपये) का है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत है।

v/;{k egksn;]

आप हमारे मनोबल को देखिये, हमारे इरादों को देखिये और यकीन कीजिये कि मजबूरियों के बावजूद हम कामयाब होंगे। हमारे इरादे दीपक की तरह हैं–

''डूबते हुए सूरज ने पूछा- रात में दुनिया की रखवाली कौन करेगा?

जलते हुए दीये ने कहा- मैं भरपूर प्रयास करूँगा''।

माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता एवं असीम धैर्य का परिचय देते हुए सुना है इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं वर्ष 2016–17 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

t ; fgUn!